



सत्यमेव जयते

शुचि दर्पण

सतर्कता : हमारी साझा जिम्मेदारी



अक्टूबर 2025
October 2025
पूर्वोत्तर रेलवे

सतर्कता बुलेटिन
VIGILANCE BULLETIN

अंक - 35
Issue - 35
N.E. Railway



सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा

मेरा विश्वास है कि हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है। मेरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिल कर कार्य करने की आवश्यकता है।

मेरा मानना है कि प्रत्येक नागरिक को सतर्क होना चाहिए तथा उसे सदैव ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष में साथ देना चाहिए।

अतः, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि :-

- ♦ जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी तथा कानून के नियमों का पालन करूँगा ;
- ♦ ना तो रिश्वत लूँगा और ना ही रिश्वत दूँगा ;
- ♦ सभी कार्य ईमानदारी तथा पारदर्शी रीति से करूँगा;
- ♦ जनहित में कार्य करूँगा;
- ♦ अपने निजी आचरण में ईमानदारी दिखाकर उदाहरण प्रस्तुत करूँगा;
- ♦ भ्रष्टाचार की किसी भी घटना की रिपोर्ट उचित एजेन्सी को दूँगा।





पूर्वोत्तर रेलवे
NORTH EASTERN RAILWAY

सतर्कता बुलेटिन
VIGILANCE BULLETIN - 2025

सतर्कता जागरूकता सप्ताह
VIGILANCE AWARENESS WEEK

27th October - 2nd November 2025

BLANK

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav
सतीश कुमार
SATISH KUMAR



अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
रेलवे बोर्ड
पदेन प्रमुख सचिव, भारत सरकार
रेल मंत्रालय,
CHAIRMAN & CHIEF EXECUTIVE OFFICER,
RAILWAY BOARD
EX OFFICIO PRINCIPAL
SECRETARY GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS

MESSAGE

As we observe Vigilance Awareness Week, let us reflect on this year's theme- "Vigilance: Our Shared Responsibility" a principle that must guide us every day as proud members of Indian Railways.

Indian Railways has been the lifeline of the nation for decades connecting people, moving goods. Each of us should take pride in being part of this great organization that has contributed immensely to the country's development.

With pride comes a massive responsibility. Vigilance is an integral part of administration to assist in clean and efficient delivery of services. Vigilance is not the job of a few it is a collective responsibility. It means being alert, honest, and committed to transparency in everything we do.

By upholding integrity, following procedures and reporting wrongdoings, we strengthen not only our systems but also win the trust of the people we serve.

Let us carry forward the legacy of Indian Railways with dedication and ethical conduct. Together, we can build a better, more accountable and stronger organization for Viksit Bharat.

I extend my best wishes for the grand success of this year's Vigilance Awareness Week.

(Satish Kumar)

BLANK

Dilip Kumar Singh

Principal Exe. Director (Vigilance) &
Chief Vigilance Officer



भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड, रेल भवन
नई दिल्ली-110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
RAILWAY BOARD, RAIL BHAVAN
NEW DELHI-110001



MESSAGE

Vigilance Awareness Week is observed annually to highlight the importance of integrity, ethics and moral conduct in public life, reaffirming our collective commitment to these values. This year's theme "सतर्कता : हमारी साझा जिम्मेदारी" Vigilance: Our Shared Responsibility", as chosen by the Central Vigilance Commission, emphasizes the collective role of citizens and institutions in building a transparent and accountable society.

In line with the CVC's directions, Indian Railways has launched a three-month long campaign from 18th August to 17th November, 2025 with centered focus on preventive vigilance and systemic improvements. Our efforts aim not only at curbing corruption but also simplify procedures, ensuring fair and just decisions at every level which is critical in promoting integrity and trust in governance.

Let us reaffirm our resolve to make vigilance a shared value. This can be achieved by reporting misconduct, adhering to ethical practices and encouraging transparency in all our actions. Together, we can foster an environment where integrity is the norm, not an exception.

I extend my sincere greetings to all who are contributing to this cause and wish everyone a meaningful and successful Vigilance Awareness Week.

(Dilip Kumar Singh)

BLANK

उदय बोरवणकर

महाप्रबन्धक

UDAY BORWANKER

General Manager



सत्यमेव जयते

पूर्वोत्तर रेलवे
गोरखपुर - 273012
North Eastern Railway
Gorakhpur - 273012
Ph.: 0551-2208000, 62100 (Rly) Fax: 2208108
Email : gm@ner.railnet.gov.in



संदेश

मुझे यह जानकारी प्रसन्नता हो रही है कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशानुसार पूर्वोत्तर रेलवे 27 अक्टूबर, 2025 से 2 नवम्बर, 2025 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन करने जा रहा है। इसका उद्देश्य रेलवे की कार्यप्रणाली में अधिकाधिक पारदर्शिता लाना एवं इसे भ्रष्टाचार-मुक्त रखना है।

भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष की सफलता समस्त रेलकर्मियों द्वारा इसके प्रति कठोर प्रतिबद्धता एवं लगन के बिना संभव नहीं है। इस संघर्ष में हर रेलकर्मी की सहभागिता अपेक्षित है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा इस वर्ष के सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय “सतर्कता: हमारी साझा जिम्मेदारी” रखा गया है। राष्ट्र को भ्रष्टाचार-मुक्त बनाने के लिए आवश्यक है, कि समस्त सरकारी विभागों एवं संगठनों में पारदर्शिता लाकर इन्हें भ्रष्टाचार-मुक्त बनाया जाय। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन इसी दिशा में एक सार्थक कदम है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा रेलकर्मियों में जागरूकता पैदा करने के लिए विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी अवसर पर सतर्कता बुलेटिन “शुचि दर्पण” का भी प्रकाशन किया जा रहा है। इस बुलेटिन में सूचनापरक एवं शिक्षाप्रद लेख हैं जो रेलकर्मियों के दैनंदिन के कार्य में उनकी जागरूकता बढ़ाएंगे और वे आत्मविश्वास से अपना कार्य-निष्पादन पूर्ण मनोयोग से कर पाएंगे।

मुझे दृढ़ विश्वास है कि सभी रेलकर्मियों में यह जागरूकता भ्रष्टाचार समाप्त करने में अहम भूमिका अदा करेगी और कदाचार को पनपने से रोकेगी। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ पूर्वोत्तर रेलवे के सतर्कता विभाग के प्रयासों की सफलता की कामना करता हूँ।


(उदय बोरवणकर)

महाप्रबन्धक/पूर्वोत्तर रेलवे
एवं
महानिदेशक, आरडीएसओ, लखनऊ

BLANK

तुषार कान्त पाण्डेय
वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक

Tushar Kant Pandey
Sr. Dy. General Manager



पूर्वोत्तर रेलवे
गोरखपुर-273012
NORTH EASTERN RAILWAY
GORAKHPUR-273012

बीएसएनएल : BSNL : 0551-2208002
रेलवे : 040-64104, 64105
ई-मेल : sdgm@ner.railnet.gov.in

संदेश

इस वर्ष 27 अक्टूबर 2025 से 02 नवम्बर 2025 तक “सतर्कता जागरूकता सप्ताह” का आयोजन किया जा रहा है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा “सतर्कता : हमारी साझा जिम्मेदारी” (Vigilance: Our Shared Responsibility) विषय को चुना गया है।

भ्रष्टाचार के विरुद्ध युद्ध में सफलता के लिए समस्त रेलकर्मियों के द्वारा इसके प्रति कठोर प्रतिबद्धता एवं लगन की आवश्यकता है। अतः यह महत्वपूर्ण है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध हम सभी मिलकर लड़ाई लड़े।

अपराधों का प्रभावी ढंग से खुलासा करके एवं दोषी व्यक्तियों को दण्डित करके सीधे तौर पर भ्रष्टाचार का मुकाबला किया जा सकता है। परंतु सही मायनों में पारदर्शिता, सहभागिता, जवाबदेही, सत्यनिष्ठा व कार्यों की सरलता तथा कम्प्यूटरीकरण से व्यवस्था सतर्क व सुदृढ़ होगी। सत्यनिष्ठा यानि कि सत्य के प्रति निष्ठा को हमें अपने दैनिक जीवन में अंगीकृत करना होगा।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे सतर्कता संगठन द्वारा सतर्कता बुलेटिन – “शुचि दर्पण” का प्रकाशन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न लेख, केस स्टडीज आदि जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल किए गए हैं। मुझे विश्वास है कि रेलकर्मी इससे लाभान्वित होंगे तथा वे अपने कर्तव्यों एवं कार्यों का निर्वहन और अधिक दक्षता एवं बिना भय के कर सकेंगे।


(तुषार कान्त पाण्डेय)

BLANK

झलकियां

सतर्कता जागरूकता सप्ताह - 2024



सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा
दिलाती महाप्रबन्धक
पूर्वोत्तर रेलवे

सरदार वल्लभ भाई पटेल
के चित्र पर माल्यार्पण
करती महाप्रबंधक
पूर्वोत्तर रेलवे



“शुचि दर्पण” का विमोचन
करते मुख्य अतिथि,
वक्ता एवं विभागाध्यक्ष

झलकियां

सतर्कता जागरूकता सप्ताह - 2024



सतर्कता सेमिनार में
मुख्य अतिथि
(महाप्रबंधक पू.उ.रे.)
का सम्बोधन

सतर्कता सेमिनार में
(अपर महाप्रबंधक पू.उ.रे.)
का सम्बोधन



“वाकाथन” के लिए
हरी झंडी दिखाती
महाप्रबन्धक,
पूर्वोत्तर रेलवे

झलकियां

सतर्कता जागरूकता सप्ताह - 2024



“वाकाथन” में वाक करती
महाप्रबन्धक,
अपर महाप्रबन्धक
एवं प्रमुख विभागाध्यक्ष

यांत्रिक कारखाना
पू.उ.रे., गोरखपुर में
सतर्कता सेमिनार



नुक्कड़ नाटक
में वरिष्ठ
उप महाप्रबन्धक
का सम्बोधन

झलकियां

सतर्कता जागरूकता सप्ताह - 2024



ड्राइंग प्रतियोगिता में
विजयी प्रतिभागी को
पुरस्कृत करते
वरिष्ठ उप महाप्रबंधक
पू.उ.रे.

रेलवे स्टेशन गोरखपुर
में सत्यनिष्ठा शपथ दिलाते
वरिष्ठ उप महाप्रबंधक



रेलवे स्टेशन
गोरखपुर में
नुक्कड़ नाटक

विषय सूची

क्रमांक	विषय	लेखक	पृष्ठ सं०
लेख :			
1	TOWARDS CORRUPTION FREE RAILWAY : VIGILANCE AS A COLLECTIVE MISSION	तुषार कान्त पाण्डेय	1-3
2	कंक्रीट के परीक्षण IS Code के अनुसार	अजय कुमार सिंह	4-6
3	ENSURING INTEGRITY IN MATERIAL MANAGEMENT: THE ROLE OF VIGILANCE	कृष्ण चन्द्र सिंह	7-8
4	UNITE AGAINST CORRUPTION: VIGILANCE-OUR COLLECTIVE DUTY TO PROTECT INDIAN RAILWAYS	शिवेन्द्र सिंह	9-10
5	RFID Electronic Markers- Underground asset management in Indian Railways	अमित कुमार	11-12
6	Vigilance - Our shared responsibility	जॉय अमित वैण्डीन	13-14
7	सतर्कता : हमारी साझा जिम्मेदारी	मुकेश कुमार सिंह	15
8	अनुशासनिक जांच कार्यवाही में जांच अधिकारी की भूमिका	संतोष कुमार	16-17
9	श्रीमद्भगवद्गीता के अनुसार (श्लोक संख्या 3.37) पाप (भ्रष्टाचार) का मूल कारण : कामना (भोग और संग्रह की इच्छा)	सूर्य प्रताप सिंह	18-19
10	सतर्क भारत समृद्ध भारत	गिरिजेश प्रताप सिंह	20
11	भारतीय रेलवे में सतर्कता संगठन का योगदान	जैनेन्द्र कुमार भट्ट	21
12	✓ Do's and × Don'ts for Railway Employees to Avoid Vigilance Scrutiny	नवनीत सिंह	22
13	2025 में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) का आधिकारिक नारा और थीम है 'सतर्कता: हमारी साझा जिम्मेदारी'	एस.के. भारती	23
14	'सतर्कता: हमारी साझा जिम्मेदारी'	एस.के. भारती	24
15	पारदर्शिता बढ़ाने में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका	विपिन कुमार यादव	25-26
16	सतर्कता व्यवहार हो अपना	सत्यदेव पाठक	27
17	भ्रष्टाचार और कलियुग – रामचरितमानस से	राममोहन सिंह	28-29
18	CVC द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह पर आधारित कविता	राममोहन सिंह	30
19	कहानी – भ्रष्टाचार (Corruption) का बीज	संजीव कुमार शर्मा	31
20	सतर्कता का दीप जलाएं	संतोष त्रिपाठी	32
21	डायबिटीज : कारण, प्रकार, लक्षण और बचाव	पंकज कुमार श्रीवास्तव	33-35
22	'भ्रष्टाचार मुझमें कितना है – स्वयं को कैसे जांचें'	पवन कुमार श्रीवास्तव	36-37
23	भ्रष्ट मानसिकता के जांच की स्व-मूल्यांकन प्रश्नावली	पवन कुमार श्रीवास्तव	38-39
24	रेल कर्मचारी रेलवे आवास में विद्युत सम्बन्धित भ्रष्टाचार से बचें	राकेश कुमार श्रीवास्तव	40

केस स्टडी :

1	रेलवे की बाउंड्री वाल कार्य की सतर्कता जांच में प्राप्त अनियमितताएं	अरून कुमार श्रीवास्तव	41
2	रेलवे कर्मचारी द्वारा रेलवे आवास को किसी प्राइवेट व्यक्ति को व्यावसायिक कार्य हेतु किराये पर दिया जाना ।	मनोज कुमार शुक्ला	42
3	S & T कार्य के अंतर्गत Non Stock (N.S.) Variation के भुगतान से सम्बंधित प्राप्त अनियमितता	सूर्य प्रताप सिंह	43
4	ड्यूटी लिस्ट की अनिवार्यता – पारदर्शिता की ओर एक कदम	बी.के. मौर्य	44
5	Gem Bid में सामग्री के गोल्डेन फिल्टर का प्रयोग Direct.....	विनोद चंद्र यादव	45
6	स्क्रेप बिक्री में शेष बिक्री मूल्य (BSV) के बिलंबित भुगतान पर ब्याज वसूली के सम्बंध में	सत्येन्द्र नाथ सिंह	45
7	PRIMES TECHNOLOGY के उपयोग से आरक्षण लिपिक के द्वारा सुनियोजित तरीके से तत्काल टिकटों में की जा रही अनियमितता का उजागर :-	जैनेन्द्र कुमार भट्ट	46
8	बुकिंग कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी द्वारा की जा रही ओवरचार्जिंग	नवनीत सिंह	47
9	स्टेशन मास्टर एवं STBA सहायक द्वारा तत्काल आरक्षण में की गयी अनियमितता	निशांत परमार	48
10	मैनुअल रेलवे ड्यूटी पास पर Not Entitled दर्जे में आरक्षण कराने के संबंध में	ओम प्रकाश सिंह	49-50
11	IRREGULARITIES COMMITTED BY LEASE HOLDERS OF SLR	अनादि प्रताप सिंह	51
12	चल टिकट परीक्षकों द्वारा कारित अनियमितताएं	सुनील कुमार सिंह	52-53
13	एक कर्मचारी को पारिवारिक पेंशन (Family Pension) और वेतन दोनों एक साथ भुगतान होना	एस.के. भारती	54
14	RECONCILIATION OF PAYMENT OF DEPOSIT WORKS	एस.के. भारती	55
15	बाह्य एजेंसी द्वारा कराये जा रहे कार्य को संज्ञान में लेकर की गयी	अभय कुमार सिंह	56

★★★★★★



लेख

ARTICLES

balank

TOWARDS CORRUPTION FREE RAILWAY : VIGILANCE AS A COLLECTIVE MISSION

Tushar Kant Pandey
SDGM/NER

Introduction

Vigilance means adopting measures to prevent corruption, detect irregularities, and promote fairness in governance. In the Indian Railways the world's one of the largest railway networks serving over 2 crore passengers daily vigilance acquires special importance. Railways handle large-scale public funds, huge procurement processes, safety-critical operations, and contracts worth thousands of crores.

This responsibility becomes even more significant as Indian Railways is currently undergoing its largest infrastructure expansion in history: Multitracking projects, electrification, modernised stations, and digital integration. Such mega projects demand not only engineering expertise but also vigilance mechanisms to safeguard against corruption, cost overruns, and compromised quality.

For such a vast system, vigilance cannot rest on a single department. It is a shared responsibility involving management, employees, contractors, oversight bodies, and even the public. A vigilant railway system not only prevents corruption but also enhances efficiency, safety, and public trust.

Why Vigilance is Critical in Indian Railways

1. **Scale and Complexity** : Indian Railways involves operations from track laying to catering, workshops, stores, and massive procurement. This diversity increases opportunities for malpractice if unchecked.
2. **Safety and Human Lives** : Lapses in procurement of quality materials, maintenance, or operations can cause accidents. Vigilance ensures that safety remains uncompromised.
3. **Financial Integrity** : Railways manage one of the largest public budgets in India. Vigilance prevents leakages and ensures funds are used for modernization, electrification, and better services.
4. **Public Accountability** : Being a public utility, Indian Railways is answerable to citizens. Vigilance reassures passengers and the nation that services are delivered with integrity.

Importance of Vigilance in Expanding Infrastructure Projects

1. **Scale of Investment** : The Government of India is investing lakhs of crores into modernization and expansion. Vigilance ensures this money is used judiciously.
2. **Quality and Safety** : Infrastructure projects directly impact passenger safety. Vigilance ensures materials and works meet prescribed standards.
3. **Timely Completion** : Mismanagement and malpractice cause delays; vigilance enforces accountability.
4. **Public Trust** : Transparent execution builds faith among citizens that national resources are not misused.

Vigilance as a Shared Responsibility

1. Management & Officers

- ♦ Enforce transparent bidding and contracting procedures.
- ♦ Ensure rotation of staff on sensitive posts.
- ♦ Monitor progress.

2. Employees

- ♦ Adhere to rules and report irregularities.
- ♦ Resist pressure from external contractors or vested interests.
- ♦ Act as frontline eyes and ears during project execution.

3. Vigilance Officials

- ♦ Conduct inspections of construction sites, workshops, and depots.
- ♦ Detect deviations in materials, billing, or timelines.
- ♦ Strengthen preventive vigilance by identifying loopholes.

4. Contractors & Vendors

- ♦ Maintain ethical standards in execution and procurement.
- ♦ Avoid collusion or bribery to secure tenders.
- ♦ Deliver quality work within stipulated timelines.

5. Citizens & Passengers

- ♦ Report misuse, corruption, or service deficiencies.
- ♦ Participate in awareness campaigns and feedback systems.
- ♦ Act as external watchdogs ensuring accountability.

6. Oversight Agencies (CVC, CAG, CBI, etc.)

- ♦ Audit projects, investigate complaints, and enforce compliance.
- ♦ Provide systemic recommendations for greater transparency.

Challenges in Railway Vigilance

- ♦ Fear of Retaliation: Employees may hesitate to report corruption due to fear of victimisation.
- ♦ Delay in Investigations: Prolonged inquiries reduce deterrence value.
- ♦ Public Ignorance: Many passengers are unaware of vigilance mechanisms available to them.
- ♦ Large Contractor Network: Monitoring subcontractors and suppliers is difficult.

Measures to Strengthen Vigilance

1. Whistle-blower Protection: Ensure anonymity and security for those reporting corruption.
2. Time-bound Investigations: Fix deadlines for inquiries and disciplinary action.
3. Training & Awareness: Regular sessions for employees, awareness campaign for contractors, and citizens.
4. Systemic Improvements: Simplify procedures, reduce discretion, and increase automation.
5. Citizen Participation: Encourage passengers to use online portals, helplines, and awareness campaigns.

Conclusion

In Indian Railways, vigilance is not merely the function of a specialized department. It is a shared responsibility from senior management to frontline staff, from contractors to passengers, and from internal vigilance units to external watchdogs. As Indian Railways undergoes massive transformation through expanding infrastructure projects, vigilance emerges as the **foundation of ethical and efficient progress**.

When vigilance becomes a **culture of integrity**, Indian Railways can ensure development that is rapid, transparent, safe, and trustworthy." The motto "**Vigilance: A Shared Responsibility**" must therefore be practiced in spirit, making Railways safer, corruption-free, and more efficient for the nation.



भ्रष्टाचार को दूर करो,
बेहतर देश का निर्माण करो।

कंक्रीट के परीक्षण (Concrete Testing) IS Code के अनुसार

अजय कुमार सिंह

– उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/इंजी.

कंक्रीट (Concrete) की जाँच (Testing Parameters) भारतीय मानक (IS Codes) के अनुसार विभिन्न प्रकार की होती है। नीचे मुख्य टेस्ट और उनके IS कोड दिए गए हैं:-

कंक्रीट टेस्टिंग के प्रकार (Types of Concrete Testing as per IS Codes)

क्रमांक	परीक्षण (Test)	IS कोड	विवरण (Description)
1	वर्कएबिलिटी टेस्ट (Workability Test)	IS: 1199	स्लम्प टेस्ट (Slump), कम्पैक्टिंग फैक्टर, फ्लो टेबल
2	कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट (Compressive Strength Test)	IS: 516	7 और 28 दिन पर क्यूब/सिलेंडर पर लोड
3	फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट (Flexural Strength Test)	IS: 516	बीम सैंपल पर बेंडिंग टेस्ट
4	स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट (Split Tensile Strength Test)	IS: 5816	सिलेंडर पर लोड
5	मोड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी (Modulus of Elasticity)	IS: 516	कंक्रीट की लोच (Elastic behavior) की जाँच
6	ड्युरेबिलिटी टेस्ट (Durability Tests)	IS: 3085 IS: 4031	Permeability, Drying Shrinkage, Creep
7	नॉन-डिस्ट्रक्टिव टेस्ट (Non-Destructive Test-NDT)	IS: 13311 (Part 1 & 2)	Rebound Hammer, Ultrasonic Pulse Velocity (UPV)

कंक्रीट टेस्टिंग पैरामीटर (Concrete Testing Parameters)(Standard and frequency as per IS Codes with Details)

1. वर्कएबिलिटी टेस्ट (Workability Test) IS - 1199

उद्देश्य: यह जांचता है कि कंक्रीट को कितनी आसानी से मिक्स, ट्रांसपोर्ट, प्लेस और कम्पैक्ट किया जा सकता है।

स्लम्प टेस्ट (Slump Test) :

- एक शंकु (cone) में कंक्रीट भरकर हटाया जाता है।
- कंक्रीट कितना नीचे बैठता है (slump) वही workability बताता है।
- High slump अधिक workability, Low slump कठोर (stiff) कंक्रीट।

कम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट :

- कंक्रीट को freefall से दो कंटेनरों में गिराया जाता है।
- भरे हुए और गिरे हुए कंक्रीट के तंजपव से workability तय की जाती है।

फ्लो टेबल टेस्ट :

- कंक्रीट को टेबल पर रखकर हिलाया जाता है।
- फैलाव (spread) workability दिखाता है।

फ्रीक्वेंसी और स्टैण्डर्ड (as per IS Codes)

- कब किया जाता है: जब भी कंक्रीट साइट पर डाला जाए।
- फ्रीक्वेंसी : हर 20 m³ कंक्रीट या हर 3 ट्रक/बैच में से कम से कम 1 टेस्ट।

2. कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट (Compressive Strength Test) – IS 516

उद्देश्य: कंक्रीट की दबाव सहने की क्षमता मापना।

1. Cube (150×150×150 mm) या Cylinder (150×300 mm) तैयार किए जाते हैं।
2. इन्हें 7 दिन और 28 दिन तक curing करके Compression Testing Machine (CTM) पर टेस्ट किया जाता है।
3. परिणाम (Strength) = (Load / Area)
4. यह सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट है क्योंकि डिजाइन strength इसी पर आधारित होती है।

फ्रीक्वेंसी और स्टैण्डर्ड (as per IS Codes)

सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी (IS 456:2000 Table 11):

- i. 1-5 m² → 1 sample
- ii. 6-15 m³ → 2 samples
- iii. 16-30 m² → 3 samples
- iv. 31-50 m² → 4 samples
- v. हर अतिरिक्त 50 m³ → 1 extra sample

एक sample = 3 cubes (150 mm)

टेस्टिंग समय: 7 दिन और 28 दिन।

3. फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट (Flexural Strength Test) – IS 516

उद्देश्य: बीम जैसे structural member की झुकने (Bending) की क्षमता पता करना।

- i. Beam sample (100×100×500mm या 150×150×700 mm) तैयार किए जाते हैं।
- ii. Loading 2-point या 3-point system से दी जाती है।
- iii. Flexural Strength (Failure Load x Span / (Width x Depth²))

फ्रीक्वेंसी और स्टैण्डर्ड (as per IS Codes)

- i. आवश्यकता: विशेष structural members (जैसे rigid pavement & IS 456 और IRC code)।
- ii. फ्रीक्वेंसी: Compressive strength sample के बराबर।

4. स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट (Split Tensile Strength Test) – IS 5816

उद्देश्य: कंक्रीट की Tensile Strength (खींचने की क्षमता) मापना।

- i. Cylinder sample (150×300 mm) को CTM में रखा जाता है।
- ii. उसे vertically compress किया जाता है जिससे वह बीच से split होता है।
- iii. Formula: Tensile Strength = $2P / (\pi \times D \times L)$ जहाँ P = Load, D = Diameter, L = Length

फ्रीक्वेंसी और स्टैण्डर्ड (as per IS Codes)

आवश्यकता: Research, Special RCC design cases में।

- i. फ्रीक्वेंसी: Normally compressive strength test sample के साथ parallel लिया जाता है।

5. मोड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी (Modulus of Elasticity) – IS 5816

उद्देश्य: यह पता लगाना कि कंक्रीट लोड हटाने के बाद कितनी elastic recovery करता है।

- i. Cylinder पर compressive load लगाया जाता है।
- ii. Stress vs Strain ग्राफ निकाला जाता है।
- iii. Initial tangent modulus या Secant modulus लिया जाता है।
- iv. यह RCC Design में बहुत काम आता है।

फ्रीक्वेंसी और स्टैण्डर्ड (as per IS Codes)

आवश्यकता : High-rise RCC design, Pre&stressed concrete में ।

फ्रीक्वेंसी : As per project specification, normal routine test नहीं ।

6. ड्यूरेबिलिटी टेस्ट (Durability Tests)

उद्देश्य : लंबे समय तक कंक्रीट की मजबूती और टिकाऊपन (Service Life) चेक करना ।

Permeability Test - IS 3085

- i. कंक्रीट से पानी/वायु गुजरने की क्षमता ।
- ii. Low permeability = High durability

Drying Shrinkage Test – IS 4031 (Part 10)

- i. कंक्रीट के सूखने पर होने वाला संकुचन (Shrinkage) ।
- ii. ज्यादा shrinkage क्रैकिंग की संभावना रहती है ।

Crip Test - IS 516

- i. लम्बे समय तक sustained load देने पर कंक्रीट का deformation हो जाता है ।
- ii. RCC structures के deflection design के लिए जरूरी है ।

फ्रीक्वेंसी और स्टैण्डर्ड (as per IS Codes)

Permeability (IS 3085), Shrinkage (IS 4031), Creep (IS 516):

- i. Routine site test नहीं होते हैं ।
- ii. Research या Special quality control projects में होता है ।

फ्रीक्वेंसी : Project specification के अनुसार किया जाता है ।

7. नॉन-डिस्ट्रक्टिव टेस्ट (NDT) – IS 13311

उद्देश्य : बिना sample तोड़ते हुए Strength और Quality का अनुमान लगाना ।

Rebound Hammer Test (Part 2):

- i. Hammer से सतह पर मारकर rebound value ली जाती है ।
- ii. Surface hardness से compressive strength का अंदाजा मिलता है ।

Ultrasonic Pulse Velocity Test (UPV – Part 1):

- i. कंक्रीट के आर-पार ultrasonic waves भेजी जाती हैं ।
- ii. High velocity = Dense – good quality concrete
- iii. Low velocity = Voids/Cracks present

फ्रीक्वेंसी और स्टैण्डर्ड (as per IS Codes)

कब किया जाता है : Existing structures की health monitoring या Doubtful strength check में किया जाता है ।

फ्रीक्वेंसी : Sampling as per IS 13311 guidelines – Minimum 6 points per structural member

Ensuring Integrity in Material Management: The Role of Vigilance

Krishna Chandra Singh

Dy. CVO/Store/NER

"Vigilance is not surveillance it's shared responsibility!"

Introduction

Vigilance is not merely a department; it is a culture, a commitment to integrity, transparency, and accountability. In a vast organization like the Indian Railways, where the supply chain and logistics systems span the length and breadth of the country, the role of vigilance becomes not only critical but also collective. Particularly within the Stores Department, which deals with procurement, inventory, and distribution of essential materials, vigilance must be seen as a shared responsibility rather than the sole burden of vigilance officers.

The Strategic Role of the Stores Department

The Stores Department of Indian Railways is at the heart of supply chain operations. It ensures timely procurement and availability of materials required for rolling stock, track maintenance, signaling, and various operational and safety-critical infrastructure. The scale is immense involving thousands of vendors, tenders, contracts, depots, and inventory points. Such complexity naturally brings risks of inefficiency, malpractice, and leakage of public resources.

Why Vigilance is Crucial in SCM and Logistics

- ♦ **Procurement Risks:** With large volumes of procurement, there's always a risk of collusion, over-invoicing, favoritism, and non-compliance with tender norms.
- ♦ **Inventory Management:** Improper stock accounting, ghost inventories, or inflated requirements can lead to misallocation of resources.
- ♦ **Contract Execution:** Delays, substandard supplies, and deviations from contract terms can hamper operations and increase costs.
- ♦ **Transportation & Logistics:** Misrouting, pilferage, and inefficiencies in material movement affect both performance and trust.
- ♦ **Scrap Disposal:** This is a high-risk area where undervaluation, favoritism, and manipulation in auction processes can result in major financial leakage.

Given these vulnerabilities, vigilance ensures that systems remain fair, procedures are followed, and resources are not misused.

Vigilance: Beyond Policing A Shared Ethic

The traditional view of vigilance as a punitive or investigative function is outdated. Modern vigilance is preventive, participative, and proactive. It is everyone's responsibility from top management to ground-level storekeepers.

1. Role of Officials and Employees

- ♦ **Compliance:** Adhering strictly to rules and procedures during procurement, tendering, and disposal.
- ♦ **Reporting:** Whistleblowing mechanisms must be encouraged and protected.

- ♦ **Self-Audit:** Departments must regularly review their own processes and fix loopholes.
 - ♦ **Training:** Periodic sensitization on ethics, vigilance guidelines, and technological tools like e-procurement platforms.
- ## 2. Role of Vigilance Department
- ♦ **Preventive Vigilance:** Conducting regular inspections, surprise checks, and system reviews to prevent lapses.
 - ♦ **Advisory Role:** Helping departments design better internal controls.
 - ♦ **Technology Promotion:** Encouraging automation and digital record-keeping to minimize manual errors and manipulation.
 - ♦ **Vendor Vetting:** Ensuring that only credible and compliant vendors are in the system.
- ## 3. Role of Vendors and Contractors
- ♦ **Integrity in Bidding:** Avoiding cartelization, false claims, or misleading credentials.
 - ♦ **Performance:** Delivering goods and services as per contract terms and timelines.
 - ♦ **Transparency:** Being open to audits and feedback.

Strengthening Vigilance through Systemic Reforms

- ♦ To embed vigilance in the DNA of supply chain management in Indian Railways, the following strategies are essential:
- ♦ **Digital Transformation:** Full implementation of e-procurement, e-auctions, and GPS-based tracking.
- ♦ **Data Analytics:** Using AI and analytics to detect patterns of fraud, abnormal pricing, or procurement irregularities.
- ♦ **Decentralisation with Oversight:** Empowering zonal and divisional units while ensuring accountability through periodic checks.
- ♦ **Capacity Building:** Training staff not just in technical tasks but also in ethics, governance, and vigilance norms.

Scrap Disposal: Priority area for Vigilance

Disposal of scrap such as condemned rolling stock, track fittings, electrical items, and machinery forms a significant part of the Stores Department's operations. This process has inherent risks due to the high commercial value of scrap and metal.

The scrap disposal process must be treated with the same seriousness as procurement, since both involve public assets and financial implications. Vigilance mechanisms here must be preventive, real-time, and strictly enforced.

Conclusion

"Vigilance is not a matter of choice; it is a necessity." In the intricate and mission-critical logistics and supply chain network of Indian Railways, especially within the Stores Department, vigilance cannot rest on a few shoulders. It must be a collective mission, embedded in every process and upheld by every individual. Only then can Indian Railways ensure that it remains not just the lifeline of the nation in mobility, but also a model of ethical, efficient, and transparent governance.

UNITE AGAINST CORRUPTION: VIGILANCE-OUR COLLECTIVE DUTY TO PROTECT INDIAN RAILWAYS

Shivendra Singh
Dy. CVO/Traffic

Introduction

Corruption a deep-rooted social evil, erodes the ethical fabric and efficiency of public institutions. For Indian Railways—a lifeline for millions—it hampers trust, development, and safety- As Indian Railways observe Vigilance Awareness Week 2025 under the theme "Vigilance: Our Shared Responsibility" it calls upon every employee and citizen to actively uphold transparency and integrity- Vigilance is not just the task of a few officers but a duty shared by all who care for this national institution.

Corruption as a Social Evil in Indian Railways-

♦ **Eroding Public Trust and Confidence**

Corruption destroys public faith in Railways' fairness and operations. When passengers witness bribery for tickets, irregularities in recruitment, or favoritism in contracts, their trust in the entire system crumbles. This distrust breeds frustration, social tension, and disharmony. The Vigilance Awareness Week theme reminds us that restoring trust requires shared vigilance and accountability.

♦ **Hindering Development and Quality Services**

Corruption diverts funds meant for modernization, safety, and amenities into corrupt hands- This loss affects infrastructure development, delays crucial projects, and worsens service quality. Active vigilance across all levels ensures resources are properly used to provide better and safer travel.

♦ **Fostering Inequality and Nepotism**

Bribery and favoritism widen gaps among employees and between officials and passengers- Nepotism in recruitments and promotions damages morale and fairness. A culture of vigilance protects meritocracy and equality, motivating everyone to perform honestly.

♦ **Weakening Rule of Law and Discipline**

Unchecked corruption undermines legal processes, disciplinary actions, and operational discipline. When corrupt officials evade punishment, a lawless atmosphere develops- Vigilance Awareness Week stresses collective efforts to maintain justice, ethics, and order.

♦ **Discouraging Investment and Innovation**

Corruption deters private and foreign investments vital for Indian Railways' growth and technological innovation. Transparent practices encouraged through vigilance build investor confidence and attract partnerships for modernization.

Legal and Institutional Vigilance Framework

Indian Railways functions within a strong legal and institutional framework to combat corruption:

- ♦ Prevention of Corruption Act, 1988 and Bhartiya Nyay Sanhita empower investigation and punishment of corrupt acts.

- ♦ Whistle Blowers Protection Act, 2011 assures confidentiality and protection to those reporting corruption.
- ♦ Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 provides oversight over public officials.
- ♦ The Central Vigilance Commission (CVC) monitors vigilance activities, investigations, and awareness programs.
- ♦ Digital initiatives like e-procurement, Integrated Payroll Accounting System (IPAS), and online complaint mechanisms reduce human interface and boost transparency. Awareness campaigns during Vigilance Week educate employees about these tools and laws.

How Railway Employees and Passengers Can Share Vigilance Responsibility

For Railway Employees:

- ♦ Uphold integrity by refusing bribes or unethical favors.
- ♦ Report corruption confidently through Railway Vigilance and whistleblower channels.
- ♦ Engage actively in vigilance training and campaigns.
- ♦ Foster a culture of fairness and transparency among peers.
- ♦ Lead by ethical example to inspire others.

For Passengers and Citizens:

- ♦ Stay alert to bribery demands or irregularities and report them promptly.
- ♦ Utilize official complaint and RTI platforms for grievances.
- ♦ Promote awareness of corruption's harms and vigilance's importance in communities.
- ♦ Insist on transparent dealings and proper receipts when availing services.

The Impact of a Collective Vigilance Culture

When vigilance becomes a shared responsibility:

- ♦ Corruption opportunities shrink as transparency and accountability rise.
- ♦ Fraud and malpractice are spotted and stopped early.
- ♦ Public resources serve their intended purpose, improving safety and service.
- ♦ Employee morale and organizational reputation improve.
- ♦ Public trust and investment grow, aiding modernization.

Conclusion

Corruption is a serious social evil that threatens Indian Railways' mission to provide safe, fair, and efficient transport. Vigilance Awareness Week 2025's theme, "Vigilance: Our Shared Responsibility"- is a call to collective action. Eradicating corruption is not just the job of vigilance officers but the duty of every employee, passenger, and citizen. Together, by committing to transparency, reporting malpractice, and living ethical values, we can safeguard Indian Railways and ensure it serves the nation's progress with integrity and pride.

RFID Electronic Markers- Underground asset management in Indian Railways

Amit Kumar
Dy. CVO/S&T

Radio Frequency Identification (RFID) technology has transformed asset management, tracking, and safety across various industries. In the railway sector, especially within the Signal and Telecommunication (S&T) department, **RFID Electronic Markers** play a crucial role in **cable route management, asset identification, and preventive maintenance.**

The RFID electronic Marker system is a revolutionary step toward digital asset management, improving both safety and efficiency in field operations.

An RFID Marker is a small, sealed, spherical device that contains a passive RFID microchip and an antenna. It is designed to be buried underground near critical assets such as cable joints, signaling/telecom cables or pipes etc. Each marker has a unique identification code (UID) and can store basic information about the buried asset. Unlike traditional physical markers or paper-based records, RFID tags offer precise, long-term, and tamper-proof data storage directly at the field location.

How It Works

1. **Installation:** The RFID Ball Marker is placed near underground assets during installation or maintenance.
2. **Activation:** When an RFID reader is brought near the surface, it transmits radio waves that energize the marker.
3. **Data Transmission:** The marker sends back its unique ID and programmed data (like location, type, or date etc.)
4. **Display and Integration:** The reader displays the information, which can also be uploaded to a GIS (Geographic Information System) or asset management database.

This process helps accurately locate and verify assets during fault repair or maintenance.

Applications in Railways

1. Cable Route Identification:

- ♦ RFID markers are placed along S&T cable/other cable routes, making it easy to identify and trace underground cables without excavation.

2. Protection Against Cable Damage:

- ♦ During maintenance, excavation, or third-party civil works, RFID markers help identify cable paths, reducing the risk of accidental cable cuts

3. Maintenance and Asset Mapping:

- ♦ Maintenance teams can scan RFID markers to instantly access information such as cable type, depth, installation date, and more.
- ♦ This facilitates faster fault detection and rectification.

4. **GIS Integration:**

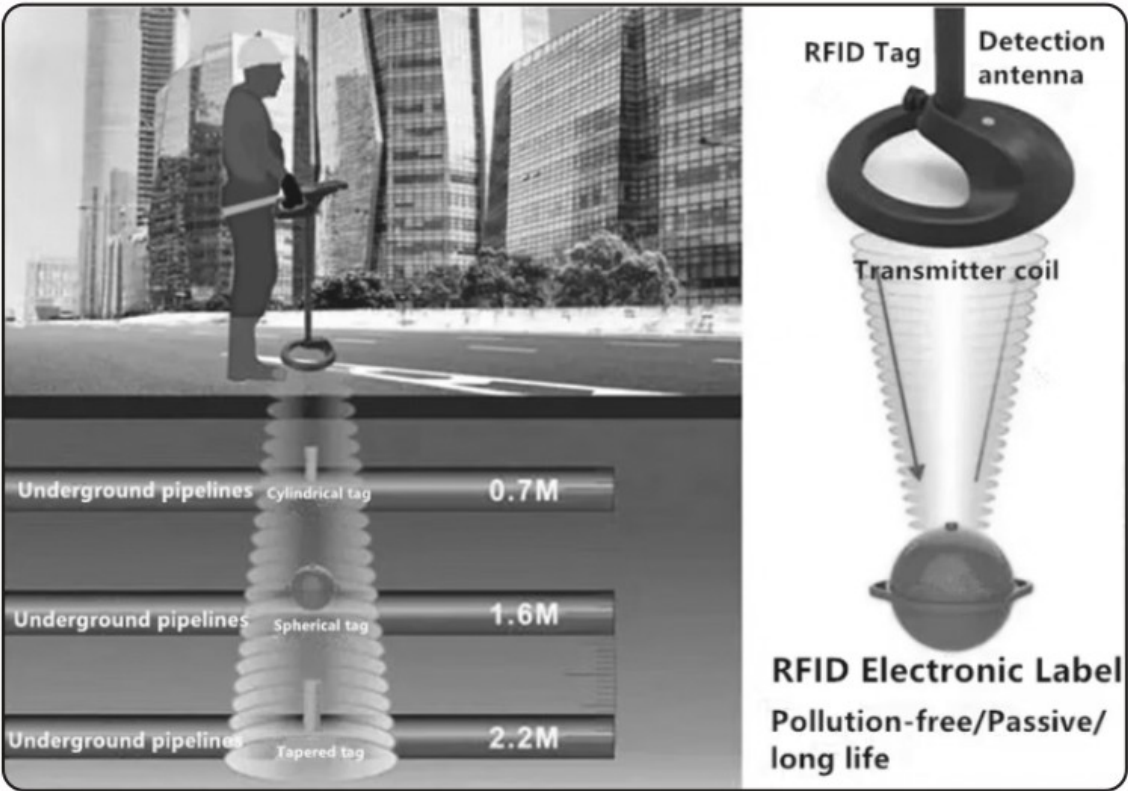
- ♦ RFID markers can be integrated into a Geographic Information System (GIS), creating a digital, geo-referenced map of all cable assets.
- ♦ This improves planning and documentation.

Case Study

In North Eastern Railway, a significant number of RFID Electronic Markers are being procured through various Signal and Telecommunication (S&T) tenders. However, during vigilance checks, it was found that RFIDs have not been installed properly. Additionally, the GIS database of the RFID Markers has also not been created. RFID Electronic Markers are very essential for determining the cable route and help prevent S&T cables from being damaged or cut.

Therefore, to prevent such irregularities in the future, a system improvement has been issued based on the recommendation of the Vigilance Department. This aims to mark the RFID Markers with numbering along with the cable route in the Cable Route Plan and additionally create and securely maintain a GIS database of the RFID Electronic Markers. The following format is recommended to be adopted for the laying of RFID-

Sr. No.	RFID No.	Station From	Station To	Latitude	Longitude	Distance from Centre of Track	Any other Remark
---------	----------	--------------	------------	----------	-----------	-------------------------------	------------------



Vigilance - Our shared responsibility

Joy Amit Vandrine
Dy. CVO/Accounts

Indian Railways is one of the biggest employer in India it has approximately more than 12 lakh employees its Revenue expenditure for 2025-2026 is estimated at approx Rs 3 lakh Crs and Capital expenditure is estimated at approx. Rs 2.60 lakh Crs such huge amount of public money requires strict vigil in expenditure. Officials while spending such a huge sum may fall in temptation which leads to corruption.

Corruption poses a serious threat to the efficiency, integrity, and credibility of governance. It undermines development, erodes public trust, and weakens institutional frameworks. In government departments, where public resources and authority are entrusted for the welfare of citizens, the consequences of corruption are particularly damaging. Corruption in government departments can take many forms delays in service delivery, favoritism in procurement, misuse of public funds, or manipulation of records. These not only lead to financial losses but also weaken citizen's confidence in the system.

Vigilance refers to the state of being alert and watchful, particularly in identifying and addressing unethical conduct and procedural violations. Preventive vigilance remains the most effective approach. Regular checks, rotation of sensitive posts, simplification of procedures, change in city of posting of officers and e-governance initiatives are proven tools to reduce the scope for misconduct. In recent years, the integration of technology has significantly enhanced vigilance efforts. Digital platforms for procurement like IREPS and GeM, online complaint systems, e-office tools for file tracking, online grievance redressal systems like CPGRAMS, IPAS for payments and automated monitoring systems reduce human intervention, increase transparency, and make it easier to track anomalies and fix delays. These innovations have empowered vigilance institutions with better data, faster communication, and more accurate detection capabilities.

Equally important is the creation of a work environment that encourages ethical behavior and protects honest officials. Whistleblower protection, sensitization programs, and training workshops help foster a culture where reporting of irregularities is encouraged and supported. Officers have a special role in leading by example and maintaining vigilance over the functioning of their subordinates. The role of vigilance in public administration and governance has become increasingly important. Vigilance department, must work in close coordination with executive to ensure adherence to established procedures, codes of conduct, and financial propriety, system improvements may be issued wherever there is scope of improvement. Preventive checks are essential tools in this regard. Equally important is the promotion of a transparent work culture where employees are encouraged to report irregularities without fear of retaliation.

The observance of Vigilance Awareness Week and a three month campaign on Preventive Vigilance led by the Central Vigilance Commission (CVC), is a commendable initiative to foster awareness among citizens and employees about the importance of integrity in public life. The theme-based approach adopted each year serves as a guiding framework to focus collective efforts on key areas of concern. This year's theme

being “Vigilance : Our Shared Responsibility.

Vigilance is not merely the responsibility of the Vigilance Officers or department head it is a collective responsibility. Every government employee must be conscious of their role in upholding integrity, avoiding conflict of interest, and ensuring fair and just treatment in their official dealings.

In conclusion, vigilance is indispensable for curbing corruption and promoting good governance. A vigilant government department is not only efficient but also responsive and trustworthy in the eyes of the public. As custodians of public interest, it is our duty to remain ever alert, uphold ethical standards, and contribute actively to building a clean, transparent, and accountable administration.

Let the eye of vigilance never be closed - Thomas Jefferson.



सतर्कता : हमारी साझा जिम्मेदारी

मुकेश कुमार सिंह

— सहायक सतर्कता अधिकारी/यातायात

किसी भी संगठन, समाज और राष्ट्र की मजबूती की बुनियाद है। यह केवल भ्रष्टाचार को रोकने का उपाय नहीं है बल्कि यह एक ऐसी सोच है जिसमें प्रत्येक नागरिक और कर्मचारी यह समझता है कि ईमानदारी, अनुशासन और सजगता सभी की साझा जिम्मेदारी है। वर्ष 2025 के सतर्कता जागरूकता सप्ताह की थीम 'सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी' इसी सशक्त संदेश को रेखांकित करती है। अक्सर देखा जाता है कि भ्रष्टाचार अथवा अनियमितताओं के मामलों में हम केवल सरकार या अधिकारियों पर आरोप मढ़ देते हैं, किंतु यह नहीं सोचते कि समाज और व्यवस्था का हिस्सा होने के नाते हमारी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। किसी भी राष्ट्र या संस्था की प्रगति नागरिकों और कर्मचारियों के सामूहिक आचरण पर निर्भर करती है। यदि हममें से प्रत्येक अपने स्तर पर सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता को अपनाए, तो व्यापक बदलाव स्वतः संभव है। छोटे-छोटे प्रयास इस दिशा में बहुत प्रभावी सिद्ध हो सकते हैं— सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग न करना, अनावश्यक अनुचित लाभ से बचना, नियम-कानूनों का ईमानदारी से पालन करना और अपने कर्तव्यों का निष्ठा पूर्वक निर्वहन करना। ऐसी सजगता और नैतिक आचरण किसी भी संगठन और समाज की विश्वसनीयता को बढ़ाते हैं। इस संदर्भ में संगठनों और कार्यालयों की भी विशेष भूमिका है। यदि अधिकारी और कर्मचारी वर्ग मिलकर पारदर्शी कार्यप्रणाली और जवाबदेही को अपनाएँ तो एक स्वस्थ कार्यसंस्कृति विकसित होती है। वहीं, आम नागरिकों द्वारा जागरूक और सजग दृष्टिकोण अपनाना इस प्रयास को और भी सशक्त बनाता है। भ्रष्टाचार केवल आर्थिक क्षति नहीं पहुँचाता, बल्कि समाज के विश्वास और नैतिक ढाँचे को भी कमजोर करता है। इसलिए इसकी रोकथाम के लिए केवल अभियान या नारे काफी नहीं हैं। आवश्यक है कि सतर्कता को जीवनशैली का हिस्सा बनाया जाए। यह तभी संभव है जब हर स्तर पर जिम्मेदारी को साझा किया जाए—चाहे वह संगठन के कर्मचारी हों या सामान्य नागरिक। अंततः, इस वर्ष की थीम हमें यही संदेश देती है कि सतर्कता कोई एक व्यक्ति या संस्था का दायित्व नहीं, बल्कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। जब प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक कर्मचारी इस जिम्मेदारी को समझेगा और निभाएगा, तभी एक भ्रष्टाचार-मुक्त, पारदर्शी और मजबूत भारत का निर्माण संभव होगा।



अनुशासनिक जांच कार्यवाही में जांच अधिकारी की भूमिका

संतोष कुमार

जांच अधिकारी/मुख्यालय

1. रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम 1968 के नियम 9 में जांच अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, जिसे अनुशासनिक अधिकारी द्वारा मानक फार्म सं. 7 के माध्यम से जारी किया जाता है, जिसकी प्रति आरोपित कर्मचारी तथा जांच अधिकारी एवं प्रस्तुति अधिकारी को पृष्ठांकित की जानी चाहिए।
2. यदि जांच अधिकारी आरोपित कर्मचारी के आरोप जारी किए जाने से पूर्व किसी स्तर पर प्रारंभिक जांच में संलग्न रहे हैं तथा उन्होंने उक्त जांच में अपना कोई मत व्यक्त किया है, जो रिकॉर्ड में हैं, तो उनके द्वारा अनुशासनिक जांच किया जाना नियमसंगत नहीं है। यदि आरोपित कर्मचारी द्वारा जांच अधिकारी के विरुद्ध पक्षपात का आरोप लगाने वाला कोई अभ्यावेदन विचाराधीन है, तो जांच अधिकारी द्वारा अनुशासनिक जांच कार्यवाही को रोक देना चाहिए। उक्त पर निर्णय के उपरान्त ही जांच कार्यवाही आगे बढ़ायी जानी चाहिए।
3. यदि अनुशासनिक अधिकारी द्वारा उपस्थापना अधिकारी की नियुक्ति की गयी है, तो उपस्थापना अधिकारी का अनुशासनिक जांच कार्यवाही में उपस्थित रहना आवश्यक है तथा जांच कार्यवाही के दौरान रिकॉर्ड किए गए प्रलेखों पर उनका हस्ताक्षर लिया जाना चाहिए।
4. जांच अधिकारी का मुख्य कार्य नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का पालन करते हुए निष्पक्ष एवं उचित सुनवाई सुनिश्चित करना। आरोपों के समर्थन तथा बचाव के लिए अनुमत दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लाना तथा अनुशासनिक नियमों/निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच करके मामले के सही तथ्य प्रस्तुत करना। यह भी जांच करना कि नियुक्ति के आदेश के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्राप्त हो गए हैं:-
आरोप-पत्र की प्रति, कदाचार या अवचार के आरोप का संक्षिप्त एवं विस्तृत विवरण (अनुलग्नक- I एवं II) दस्तावेजों तथा गवाहों की सूची, जिनके द्वारा आरोप के अनुच्छेदों को कायम रखा जाना प्रस्तावित है (अनुलग्नक III एवं IV), आरोपित कर्मचारी के विरुद्ध आरोप पत्र की तामील को साबित करने वाला साक्ष्य। आरोपित कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत बचाव के लिखित बयान की प्रति, यदि कोई हो।
5. यह सुनिश्चित करें कि नोटिस आरोपित कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से दिया जाए या उसे सूचित किया जाए तथा विधिवत रूप से पावती ली जाए। उक्त नोटिस की प्रति अनुशासनिक अधिकारी को भी प्रेषित की जानी चाहिए।
6. प्रारंभिक सुनवाई में आरोपित कर्मचारी से पूछें कि क्या उन्हें किसी बचाव सहायक को नामित करने की आवश्यकता है। सूचीबद्ध दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए कहें। बचाव पक्ष के दस्तावेजों और गवाहों की प्रासंगिकता पर शीघ्र निर्णय लें। दैनिक आदेश पत्र में बचाव दस्तावेजों/गवाहों को अस्वीकार करने के कारण दर्ज करें। अतिरिक्त दस्तावेजों के लिए उस प्राधिकारी को अनुरोध भेजें जिसके पास दस्तावेज हैं। नियमित सुनवाई शुरू होने से पहले आरोपित कर्मचारी से दस्तावेजों के निरीक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त करें। प्रारंभिक सुनवाई को केवल इसलिए स्थगित न करें क्योंकि आरोपी कर्मचारी बचाव सहायता की व्यवस्था नहीं कर सका।
7. बचाव सहायक से लिखित सहमति प्राप्त करें तथा यह भी प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त करें कि उनके पास तीन/सात से अधिक मामले लम्बित नहीं हैं, जिनमें वह बचाव सहायता प्रदान कर रहे हैं।
8. प्रत्येक जांच तिथि में किए गए कार्यों को दैनिक आदेश पत्र में रिकॉर्ड करना तथा उस पर स्वयं के हस्ताक्षर के साथ आरोपित कर्मचारी, उसके बचाव सहायक और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर भी प्राप्त करना तथा उन्हें एक प्रति उपलब्ध कराना।

9. निर्धारित प्रपत्र में गवाहों को नोटिस भेजें। यदि गवाह लोक सेवक हैं, तो संबंधित गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए विभागधकार्यालय प्रमुख को अनुरोध भेजा जाना चाहिए।
10. बिना किसी अनावश्यक समय हानि के दैनिक आधार पर नियमित सुनवाई करें। स्थगन आदि के सभी अनुरोधों को अस्वीकार कर देना चाहिए, जो कार्यवाही में बाधा डालने या देरी करने के लिए प्रतीत होते हैं, लेकिन दैनिक आदेश पत्र में ऐसी अस्वीकृतियों के कारणों को दर्ज किया जाना चाहिए।
11. अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के गवाहों की मौखिक गवाही दर्ज करना। प्रत्येक गवाह का बयान एक अलग पृष्ठ पर दर्ज किया जाना चाहिए तथा उन पर हस्ताक्षर प्राप्त किए जाने चाहिए। जिरह के दौरान अस्वीकृत प्रश्नों को रिकॉर्ड करें।
12. अनुशासनात्मक प्राधिकारी का मामला समाप्त होने के बाद आरोपित कर्मचारी से मौखिक या लिखित रूप में जैसा भी वह चाहे अपना बचाव प्रस्तुत करने का अनुरोध करना चाहिए। यदि बचाव मौखिक रूप से किया गया है तो उसे दर्ज करें और उस पर आरोपित कर्मचारी के हस्ताक्षर लिये जायें।
13. यदि आरोपित अधिकारी ने स्वयं को गवाह के रूप में प्रस्तुत नहीं किया है तो आपको अभियोजन पक्ष के मामले के अंत में उसके विरुद्ध उपस्थित परिस्थितियों के बारे में उससे सामान्यतः पूछताछ करनी चाहिए और आम तौर पर साक्ष्य दर्ज होने के बाद आरोपित कर्मचारी से पूछताछ की जाती है। इसका उद्देश्य आरोपित कर्मचारी से उसके विरुद्ध साक्ष्यों पर स्पष्टीकरण प्राप्त करना होता है।
14. साक्ष्य में किसी भी कमी को पूरा करने के लिए नए साक्ष्य पेश करने या किसी गवाह को वापस बुलाने की अनुमति के किसी भी अनुरोध को अस्वीकार करें।
15. आरोपित कर्मचारी को उचित अवधि में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के लिखित संक्षिप्त विवरण का जवाब देने की अनुमति दी जाएगी।
16. अनुशासनिक जांच कार्यवाही के दौरान दर्ज साक्ष्यों का विश्लेषण करना तथा रिकार्ड पर मौजूद सभी साक्ष्यों के प्रभाव का सही एवं उचित मूल्यांकन करना। चाहे आरोप सिद्ध हों या नहीं अपनी स्पष्ट राय देते हुए जांच की तर्कसंगत रिपोर्ट लिखना। जांच अधिकारी अपनी रिपोर्ट में किसी भी बाहरी बात को शामिल न करें, बल्कि अनुशासनिक जांच कार्यवाही के दौरान साक्ष्य के रूप में सामने आए तथ्यों तक ही सीमित रहें।

श्रीमद्भगवतगीता के अनुसार (श्लोक संख्या 3.37) पाप (भ्रष्टाचार) का मूल कारण : कामना (भोग और संग्रह की इच्छा)

सूर्य प्रताप सिंह
— मुसतानि/सिग. एवं दू.सं

श्रीमद्भगवतगीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन भगवान श्रीकृष्ण को निम्न 4 कारणों से युद्ध करने से मना करते हैं —

1. रिश्तेदारों और मित्रों के प्रति करुणा का भाव (श्लोक संख्या 1.28–30)
2. विजयी होने के बाद भी आनंद का अनुभव न होना क्योंकि युद्ध में अधिकतर रिश्तेदार और मित्रों की मृत्यु हो चुकी होगी (श्लोक संख्या 1.31–35)
3. युद्ध में हुयी हत्या के पाप का डर (श्लोक संख्या 1.36–38)
4. परिवारिक परंपराओं का विनाश (श्लोक संख्या 1.39–43)।

अर्जुन के द्वारा युद्ध करने से मना करने के बाद भगवान श्री कृष्ण श्रीमद्भगवतगीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन को आत्मा का ज्ञान (श्लोक संख्या 2.13–30), स्वधर्म का ज्ञान (श्लोक संख्या 2.31–38), कर्म का ज्ञान (श्लोक संख्या 2.39–53) तथा स्थितप्रज्ञ का ज्ञान (श्लोक संख्या 2.54 – 2.72) देते हैं। श्रीमद्भगवतगीता के तीसरे अध्याय में भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म योग का ज्ञान देते हुए अर्जुन को श्लोक संख्या 3.35 में बताते हैं कि अपने स्वकर्मों को दोषपूर्ण ढंग से करना भी अन्य के कर्मों को भलीभांति करने से श्रेयस्कर है।

स्वधर्म कल्याणकारक और परधर्म भयावह हैं। ऐसा जानते हुए भी मनुष्य स्वधर्म में प्रवृत्त क्यों नहीं होता ? इसपर अर्जुन प्रश्न करते हैं —

अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः । अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः

(श्लोक संख्या 3.36)

“हे वृष्णिवंश, मनुष्य न चाहते हुए भी पापकर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है ? ऐसा लगता है की उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो।” विचारवान पुरुष पाप नहीं करना चाहता, क्योंकि पाप का परिणाम दुःख होता है और दुःख को कोई भी प्राणी नहीं चाहता। विचारशील मनुष्य पाप नहीं करना चाहता, पर भीतर सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा रहने से वह करने योग्य कर्तव्य कर्म नहीं कर पाता और न करने योग्य पाप-कर्म कर बैठता है। पापों में प्रवृत्ति का मूल कारण “काम” अर्थात् सांसारिक सुख भोग और संग्रह की भावना है परन्तु इस कारण की ओर दृष्टि न रहने से मनुष्य को यह पता नहीं चलता की पाप करानेवाला कौन है ? वह यह समझता है कि मैं तो पाप को जानता हुआ उससे निवृत्त होना चाहता हूँ, पर मेरे को कोई बलपूर्वक पाप में प्रवृत्त करता है जैसे दुर्योधन ने कहा है —

जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः।

केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि

“मैं धर्म को जानता हूँ, पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती और अधर्म को जनता हूँ, पर उसमें मेरी निवृत्ति नहीं होती। मेरे हृदय में स्थित कोई देव है, जो मेरे से जैसा करवाता है वैसा ही मैं करता हूँ।”

दुर्योधन द्वारा कहा गया यह ‘देव’ वस्तुतः काम (भोग और संग्रह की इच्छा) ही है, जिससे मनुष्य विचारपूर्वक जानता हुआ भी धर्म का पालन और अधर्म का त्याग नहीं कर पाता। भगवान श्रीकृष्ण श्लोक संख्या 3.37 में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं —

काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः। महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम्

“ रजोगुण से उत्पन्न यह काम अर्थात् कामना ही पाप का कारण है। यह काम ही क्रोध में परिणत होता है। यह काम बहुत खाने वाला और महापापी है। इस विषय में तुम इसको ही शत्रु जानो। ”

कोई शत्रु ऐसा होता है जो भेंट-पूजा अथवा अनुनय – विनय से शांत हो जाता है , पर यह ‘काम’ ऐसा शत्रु है, जो किसी से भी शांत नहीं होता है यह बहुत खाने वाला है। इस काम की कभी तृप्ति नहीं होती। जैसे धन मिलने पर धन की कामना बढ़ती ही चली जाती है, ऐसे ही ज्यो – ज्यों भोग मिलते हैं , त्यों– ही– त्यों कामना बढ़ती ही चली जाती है। इसीलिए कामना को ‘महाशनः (बहुत खाने वाला)’ कहा गया है। कामना ही सम्पूर्ण पापों का कारण है। चोरी, डकैती, हिंसा, भ्रष्टाचार आदि समस्त पाप कामना से ही होते हैं। इसलिए कामना को “महापाप्मा” कहा गया है। कामना उत्पन्न होते ही मनुष्य अपने कर्तव्य से, अपने स्वरूप से और अपने इष्ट (भगवान) से विमुख हो जाता है और नाशवान संसार के सम्मुख हो जाता है। नाशवान के सम्मुख होने से पाप होते हैं और पापों के फलस्वरूप नरकों तथा नीच योनियों की प्राप्ति होती है। भगवान श्रीकृष्ण श्रीमद्भगवतगीता के आगे के श्लोकों और अध्यायों में इस काम पर विजय प्राप्त करने का उपाय बताते हैं।



सतर्क भारत समृद्ध भारत

गिरिजेश प्रताप सिंह

— मुसतानि/यातायात

भारत के समग्र विकास का मार्ग तभी प्रशस्त हो सकता है जब हम प्रत्येक नागरिक अपने आचरण में पारदर्शिता, सजगता और जिम्मेदारी को अपनाएँ। भ्रष्टाचार—मुक्त एवं अतिक्रमण—रहित भारत का जो स्वप्न हम प्रायः अपने मन में संजोते हैं, वह केवल सरकार अथवा प्रशासन की सक्रियता से ही संभव नहीं है। इसके लिए नागरिकों की सक्रिय भागीदारी और सजग योगदान उतना ही आवश्यक है।

स्वच्छ और सुनियोजित सड़कें, प्रदूषण—रहित वातावरण तथा स्वच्छ जलप्रवाह जैसी कल्पनाएँ तभी साकार हो सकती हैं जब हम अपने व्यवहार में अनुशासन का पालन करें। केवल वृक्षारोपण के अभियानों में भाग लेकर या स्वच्छता संबंधी नारों का उच्चारण कर देने मात्र से जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। आवश्यक यह है कि हम अपने घर, आसपास तथा कार्यस्थल के प्रत्येक छोटे कदम में ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दें।

भ्रष्टाचार का मुद्दा विशेष महत्व रखता है। यह न केवल आर्थिक संसाधनों को क्षति पहुँचाता है, बल्कि सामाजिक आस्था और जन-विश्वास को भी गहरा आघात करता है। प्रायः हम दोष अधिकारियों या तंत्र पर डालकर स्वयं को उत्तरदायित्व से मुक्त मान लेते हैं, जबकि वस्तुतः व्यवस्था की कार्यक्षमता जनता और प्रशासन दोनों के संयुक्त प्रयास से स्थापित होती है।

इंदौर शहर इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण है। स्वच्छता सर्वेक्षणों में प्रथम स्थान प्राप्त करना वहाँ के अधिकारियों की सतर्कता और जनता की जागरूकता का परिणाम है। प्रशासन के कठोर कदमों के साथ-साथ आम नागरिकों ने भी सक्रिय सहयोग किया, जिसका प्रतिफल संपूर्ण शहर ने अनुभव किया। यह स्पष्ट करता है कि यदि प्रशासनिक ईमानदारी और नागरिक सजगता साथ-साथ चलें तो किसी भी आदर्श को मूर्त रूप दिया जा सकता है।

भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे सामाजिक अवरोधों से भारत को मुक्त कराने के लिए अधिकारियों को निष्पक्ष तथा सतर्क होकर कर्तव्य निर्वहन करना होगा और नागरिकों को भी अपने कर्तव्यों का गंभीरता से पालन करना होगा। यही परस्पर सहयोग सतर्क भारत समृद्ध भारत के संकल्प को मूर्त रूप प्रदान करेगा।

निस्संदेह, भारत की समृद्धि और प्रगति का आधार उसकी सतर्कता है। अतः यह पंक्ति पूर्णतः सत्य सिद्ध होती है।

“जब सतर्क होगा भारत, तभी समृद्ध बनेगा भारत।”

**"Be vigilant; guard your mind
against negative thoughts"**

-Gautama Buddha

भारतीय रेलवे में सतर्कता संगठन का योगदान

जैनेन्द्र कुमार भट्ट
– मुसतानि/यातायात

भारतीय रेलवे में सतर्कता संगठन का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार को रोकना और नैतिक मानकों को बनाए रखना है।

सतर्कता संगठन का प्रमुख योगदान :

1. **भ्रष्टाचार नियंत्रण :** सतर्कता संगठन भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करता है।
2. **नैतिक मानकों का पालन :** यह सुनिश्चित करता है कि प्रशासनिक प्रक्रियाएं न केवल कानूनी रूप से अनुपालक हों, बल्कि न्यायसंगत और समान भी हों।
3. **पारदर्शिता और जवाबदेही :** सतर्कता संगठन पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है, जिससे रेलवे के कामकाज में सुधार होता है।
4. **प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण :** यह संगठन कर्मचारियों को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में मदद करता है, जिससे वे अपने कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से कर सकें।
5. **जांच और निरीक्षण :** सतर्कता संगठन संवेदनशील क्षेत्रों में जांच और निरीक्षण करता है, जिससे अनियमितताओं को रोका जा सके।
6. **सतर्कता जागरूकता :** यह संगठन सतर्कता जागरूकता को बढ़ावा देता है, जिससे कर्मचारियों और जनता में भ्रष्टाचार के प्रति जागरूकता बढ़े।

इस प्रकार, रेलवे सतर्कता संगठन भारतीय रेलवे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे संगठन की अखंडता और प्रभावशीलता बनी रहती है।



✓ Do's and × Don'ts for Railway Employees to Avoid Vigilance Scrutiny

Navneet Singh
CVI/Traffic

✓ Do's

- ✓ **Maintain Integrity:** Always be honest and transparent in official dealings.
- ✓ **Follow Rules & Procedures:** Adhere strictly to Railway Codes, Manuals and guidelines.
- ✓ **Keep Proper Records:** Ensure timely and accurate documentation of decisions, inspections and approvals.
- ✓ **Practice Fairness:** Be impartial in recruitment, postings, promotions and contract dealings.
- ✓ **Use Digital Platforms:** Prefer e-office, e-tendering and online payments to reduce manual intervention.
- ✓ **Be Accountable:** Take responsibility for your actions and decisions.
- ✓ **Exercise Due Diligence:** Verify facts before sanctioning payments, signing contracts or issuing approvals.
- ✓ **Report Misconduct:** Inform higher authorities about any irregularity or pressure to act improperly.
- ✓ **Respect Public Trust:** Deal courteously with passengers and stakeholders, ensuring transparency in public-facing services.
- ✓ **Stay Updated:** Attend training and awareness programs on vigilance, cyber security and ethics.

× Don'ts

- × Do not accept gifts, cash, or favours from contractors, vendors or subordinates.
- × Do not misuse your position for personal gain or to favour friends/relatives.
- × Do not bypass laid-down procedures in works, procurement or recruitment.
- × Do not engage in cartelization, collusion or favouritism in tenders.
- × Do not use official resources (vehicles, staff, funds, passwords) for personal purposes.
- × Do not delay files or decisions with mala fide intent.
- × Do not share login credentials, passwords or official data with unauthorized persons.
- × Do not manipulate measurements, records or certifications in works/contracts.
- × Do not ignore passenger grievances or public complaints.
- × Do not indulge in corruption, negligence or misconduct that tarnishes the image of Railways.

2025 में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) का आधिकारिक नारा और थीम है 'सतर्कता: हमारी साझा जिम्मेदारी'

एस.के. भारती
— मुस्तानि/लेखा

यह एक स्लोगन या नारा है जो आम तौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता फैलाने, ईमानदारी को बढ़ावा देने, और सतर्क रहने के उद्देश्य से इस्तेमाल किया जाता है।

इस नारे का उद्देश्य:

लोगों को यह समझाना कि सिर्फ सरकारी एजेंसियां ही नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए।

एक सजग, जागरूक और जिम्मेदार समाज का निर्माण करना।

पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना।

सतर्कता यानी चौकसी या जागरूकता किसी भी समाज की सुरक्षा और प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है। जब हम "सतर्कता : हमारी साझा जिम्मेदारी" की बात करते हैं तो इसका अर्थ है कि एक सुरक्षित और सुदृढ़ समाज बनाने के लिए हर व्यक्ति को जागरूक और सतर्क रहना चाहिए और यह सामूहिक प्रयास ही हमें बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकता है।

सतर्कता का महत्व :-

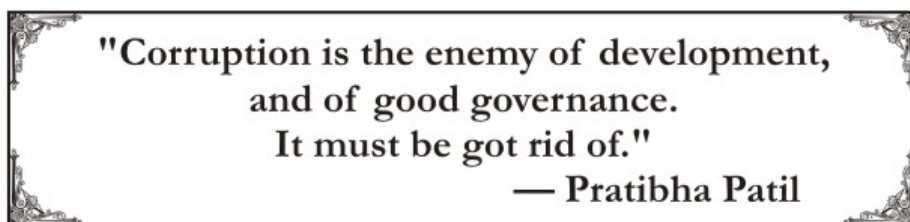
सुरक्षा :- सतर्कता हमें खतरों को पहचान और उनसे बचने में मदद करती है यह व्यक्तिगत स्तर पर और सामाजिक स्तर पर सुरक्षा सुनिश्चित करती है।

भ्रष्टाचार मुक्त समाज :- भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सभी नागरिकों को सतर्क रहना चाहिए और गलत कामों की रिपोर्ट करनी चाहिए। केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) हर साल सतर्कता जागरूकता सप्ताह मानता है ताकि भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता फैलाई जा सके और लोगों को इसमें भागीदार बनाया जा सके।

सामाजिक न्याय :- सतर्कता हमें सामाजिक अन्य और भेदभाव को पहचानने में मदद करती है जिससे हम उनके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं।

पर्यावरण संरक्षण :- पर्यावरण के प्रति जागरूक रहना और उसकी रक्षा करना भी हमारी साझा जिम्मेदारी है।

एक सुरक्षित, स्वच्छ और समृद्ध समाज बनाने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए जब हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं तो हम न केवल खुद के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर भविष्य बनाते हैं।



‘सतर्कता: हमारी साझा जिम्मेदारी’

एस.के. भारती
— मुस्तानि/लेखा

भ्रष्टाचार को मिटाने का समय आ गया
अब नागरिकों सतर्क होने का समय आ गया
भ्रष्टाचार को मिटाने का समय आ गया ।

धर्म, जाति, लिंग, भिन्नता भूलकर
आज हो राष्ट्र का ईमानदारी एक स्वर
एक हो जाए हम जागरूकता से भरे
संविधान, नियम कानून की भावना से भरे
अब सबकी जिम्मेदारी का समय आ गया,
भ्रष्टाचार को मिटाने का समय आ गया ।

अब न बिखरे रहे सरकारी और निजी एजेंसी
अब तो बनना हमें जागरूकता के सजग प्रहरी
सुप्त पारदर्शिता को जगाना है हमें
इसी समाज में नैतिक मूल्यों को बढ़ाना हमें
समाज की बेहतरी का समय आ गया
भ्रष्टाचार को मिटाने का समय आ गया ।

“युवाओं का कर्तव्य भ्रष्टाचार को
चुनौती देना है।”

पारदर्शिता बढ़ाने में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका

विपिन कुमार यादव

— प्रोग्रामर (IRVINS) सतर्कता रेलवे बोर्ड

भारतीय रेल, जो देश की जीवन रेखा कही जाती है, विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं में से एक है। विशाल ढाँचा, लाखों कर्मचारी और प्रतिदिन करोड़ों यात्रियों की सेवा करने वाली इस संस्था के लिए पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही बनाए रखना हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। ऐसे परिदृश्य में “भ्रष्टाचार मुक्त भारतीय रेल” का सपना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एक सशक्त साधन के रूप में उभरी है, जिसने रेलवे के संचालन और सतर्कता प्रणाली को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और जन-केंद्रित बनाने में अहम भूमिका निभाई है।

रेलवे में भ्रष्टाचार की चुनौती

भारतीय रेल के विशाल नेटवर्क में ठेके, खरीद प्रक्रिया, मानव संसाधन प्रबंधन और सेवा वितरण जैसे क्षेत्रों में कई तरह की चुनौतियाँ सामने आती हैं। पहले के समय में मैन्युअल प्रक्रियाओं के कारण विलंब, पक्षपात और अनियमितताओं की संभावनाएँ बनी रहती थीं। ऐसे में सतर्कता (Vigilance) न केवल भ्रष्टाचार को दंडित करने का माध्यम है, बल्कि इसे रोकने और प्रणाली में सुधार करने का भी उपाय है।

पारदर्शिता बढ़ाने में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका

सूचना प्रौद्योगिकी ने रेलवे की सतर्कता प्रणाली को पूरी तरह बदल दिया है। डिजिटलीकरण ने मानवीय हस्तक्षेप को कम किया, सभी कार्यों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया और निर्णय लेने की प्रक्रिया को डेटा-आधारित बनाया। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण इस प्रकार हैं—

- * **ई-प्रोक्योरमेंट और ई-टेंडरिंग**: ऑनलाइन खरीद और निविदा प्रणाली ने ठेके की प्रक्रिया को पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और निष्पक्ष बनाया।
- * **एचआरएमएस (HRMS)**: कर्मचारियों के रिकॉर्ड, पदोन्नति और स्थानांतरण अब डिजिटल रूप से संचालित होते हैं, जिससे पक्षपात की गुंजाइश कम हो गई है।
- * **डिजिटल सतर्कता पोर्टल**: कर्मचारी और नागरिक अश्वनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उसकी स्थिति ट्रैक कर सकते हैं, जिससे भय और विलंब की समस्या कम हुई है।
- * **डेटा विश्लेषण**: आधुनिक तकनीकें असामान्य पैटर्न, अधिक मूल्य निर्धारण और अनियमितताओं की पहचान कर सकती हैं, जिससे निवारक सतर्कता को बल मिलता है।
- * **भारतीय रेल सतर्कता सूचना प्रणाली (IRVINS)**: भारतीय रेल विश्व का सबसे बड़ा सार्वजनिक परिवहन तंत्र है। इतने विशाल संगठन में पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा और जवाबदेही बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। इसी उद्देश्य से “भारतीय रेल सतर्कता सूचना प्रणाली” (Indian Railway Vigilance Information System : IRVINS) विकसित की गई है। यह प्रणाली सतर्कता निदेशालय, रेलवे बोर्ड द्वारा संचालित की जाती है और इसका उद्देश्य सतर्कता संबंधी कार्यों को पारदर्शी, कुशल और डिजिटल माध्यम से संचालित करना है।

प्रमुख विशेषताएँ

- * ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण एवं ट्रैकिंग कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकता है और उसकी स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकता है।

- * **डिजिटल डेटा प्रबंधन** : सभी सतर्कता मामलों का डेटा एक केंद्रीकृत प्रणाली में सुरक्षित रहता है, जिससे जाँच और रिपोर्टिंग आसान होती है।
- * **पारदर्शी प्रक्रिया** : सभी कार्रवाइयों का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध होने से जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।
- * **प्रभावी निगरानी** : प्रणाली से उच्चाधिकारियों को मामलों की प्रगति पर समय-समय पर नजर रखने की सुविधा मिलती है।
- * **रिपोर्ट जनरेशन** : विभिन्न प्रकार की रिपोर्टें स्वतः तैयार होती हैं, जिससे नीतिगत निर्णय लेने में सहायता मिलती है।

सतर्कता जागरूकता फैलाने में आईटी का योगदान

आईटी केवल निगरानी का साधन नहीं है, बल्कि जागरूकता फैलाने का भी माध्यम है। ऑनलाइन प्रशिक्षण, वेबिनार और विजिलेंस अवेयरनेस वीक के दौरान डिजिटल अभियान कर्मचारियों और नागरिकों में ईमानदारी और निष्ठा का संदेश पहुँचाते हैं। ऑनलाइन इंटीग्रेटी प्लेज (सत्यनिष्ठा की शपथ) ने लाखों लोगों को जोड़ा है और सामूहिक जिम्मेदारी का भाव जगाया है।

आईटी आधारित सतर्कता के लाभ

आईटी अपनाने से निर्णय लेने की गति बढ़ी है, शिकायत निवारण तेज हुआ है और लेन-देन अधिक पारदर्शी बने हैं। इससे भागीदारी सतर्कता को भी बढ़ावा मिला है, जिसमें कर्मचारी और नागरिक दोनों भ्रष्टाचार मुक्त माहौल बनाने में सक्रिय भागीदार बनते हैं।

भविष्य की दिशा

भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकें रेलवे की सतर्कता प्रणाली को और मजबूत करेंगी। ये तकनीकें गड़बड़ियों को पहले ही पहचान लेंगी और सभी रिकॉर्ड को छेड़छाड़-रहित बनाएंगी।



सतर्कता व्यवहार हो अपना

सत्यदेव पाठक

— उप मुख्य सिग्नल एवं दूर संचार इंजि./परियोजना लखनऊ

ईमान से बड़ा धर्म नहीं ,
परित्याग कभी इसका ना करना ,
आएं कितनी ही बाधाएं ,
कमजोर कभी मन को ना करना ।



गलत हैं जो राहें ,
उन राहों पर ना चलना ।
ईमानदारी हो संस्कार हमारा ,
फितरत कुछ ऐसी रखना ।

लालच तृष्णा तुमको ना डसे ,
दूरी इनसे है रखना ।
ये अपराध है कृत्सित विचार है ,
साख को अपने ताक पे ना रखना ।



पारदर्शिता काम में हो परिलक्षित ,
शीशे सा मन साफ है रखना ।
झूठ बोल कर या देकर प्रलोभन ,
किसी मासूम को ना ठगना ।

बुरे काम का होता है बुरा नतीजा ,
बात ध्यान ये रखना ।
जमीर से बढ़ कर पथ प्रदर्शक नहीं ,
छवि को बेदाग है रखना ।



खुद जानों ये बातें औरों को बताओ ,
सदाचार का प्रसार है करना ।
सतर्क रहें और सतर्क करें ,
सतर्कता व्यवहार हो अपना ।

भ्रष्टाचार और कलियुग - रामचरितमानस से

राम मोहन सिंह

— मुख्य सतर्कता निरीक्षक/इंजि.

रामचरितमानस तुलसीदास जी की अमर कृति है, जो भक्ति, नीति, धर्म, आदर्श और चरित्र-निर्माण पर केंद्रित है। इसमें भ्रष्टाचार (bhrashtachar) शब्द का सीधा प्रयोग नहीं मिलता, क्योंकि यह आधुनिक काल का शब्द है, लेकिन तुलसीदास जी ने ऐसे कई प्रसंगों और चौपाइयों में अन्याय, लोभ, कपट, बेईमानी, अधर्म और राज-व्यवस्था में भ्रष्ट आचरण की आलोचना की है।

चौपाई (मूल पाठ)	भावार्थ (सरल हिंदी)	आज के भ्रष्टाचार से तुलना
"धर्म बिकाई कुटुम्ब पोसहि। सुनि कलि करहि हसहि गिरि रोसहि॥"	धर्म का व्यापार कर लोग परिवार पालते हैं।	धर्म और पूजा-पाठ भी व्यवसाय बन गए।
"न्याय न बिकसहि नगर नर नारी। सब चलहि स्वार्थ-बल भारी॥"	न्याय की परवाह कोई नहीं करता, सब अपने स्वार्थ और बल से चलते हैं।	न्याय व्यवस्था बिकाऊ और रिश्वत आधारित।
"राजा करहि अधर्म अपारा। प्रजा दुखी पाव नहि सुख धारा॥"	जब राजा अधर्म करता है, तो प्रजा दुखी रहती है।	भ्रष्ट शासक और नेता जनता को दुखी करते हैं।
"साधुन्ह संग न चहहि संसारा। बंचकन्ह सठन्ह कहहि सदारा॥"	सज्जनों का सम्मान नहीं, बल्कि कपटी और धूर्त लोग पूजित होते हैं।	ईमानदारों की उपेक्षा और भ्रष्ट लोगों का सम्मान।
"कलि कर मलिन मनुष बिधि बानी। सत्य न मानहि करहि कपट ग्यानी॥"	कलियुग में लोग कपट को ही ज्ञान मानते हैं।	झूठ और फरेब को "चालाकी" समझा जाता है।
"लोभ सकल कुगुन कर मूला। करै पाप नर लघु सुख फूला॥"	लोभ सभी बुराइयों की जड़ है।	भ्रष्टाचार लालच और स्वार्थ का परिणाम है।
"राजा धर्म न चालनिहारा। होइहि प्रजा अहि समान दुखारा॥"	जब शासक धर्म नहीं चलाता, प्रजा सांप समान दुख देती है।	शासन-प्रशासन में अन्याय से समाज में अशांति।
"कुपथ कुमंत्रक कुमित्र बिबरना। होइहि बेगि नरक सम सरना॥"	बुरा मार्ग, बुरी सलाह और बुरी संगति नरक का कारण है।	भ्रष्ट संगति और गलत सलाह से पतन।
"कलियुग केवल नाम अधारा। सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा॥"	कलियुग में केवल भगवान का नाम ही सहारा है।	भ्रष्टाचार से मुक्ति का उपाय — ईमानदारी और भक्ति।

रामचरितमानस में भ्रष्टाचार सीधे शब्दों में नहीं, लेकिन लोभ, कपट, अधर्म, अन्याय और अन्यायी शासन के माध्यम से वर्णित है। श्री तुलसीदास जी ने स्पष्ट किया है कि जब राजा, मंत्री, अधिकारी या साधारण व्यक्ति लोभ में पड़ते हैं तो धर्म नष्ट होता है और समाज में अव्यवस्था फैल जाती है। श्री तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस में भ्रष्टाचार के मूल अवयवों पर अपने चौपाइयों में निम्नलिखित वर्णन किया है—

मुख्य वर्णन (Description) :

1. राजाओं और अन्यायी शासकों की निंदा

“श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जब राजा ही अन्यायी और लोभी हो जाता है, तो प्रजा दुखी हो जाती है।”

“जाकें रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी” जैसे भावों में उन्होंने दिखाया है कि अधर्मी राजा या अधिकारी प्रजा के साथ छल करते हैं।

2. लोभ और भ्रष्ट आचरण

“लोभ सकल कुगुन कर मूला। करै पाप नर लघु सुख फूला॥”

लोभ को सभी बुराइयों की जड़ बताया गया है। भ्रष्टाचार भी लोभ से ही जन्म लेता है।

3. राजनीति और भ्रष्ट शासन

“राजा धर्म न चालनिहारा। होइहि प्रजा अहि समान दुखारा॥”

जब शासक धर्म से भटक जाता है (अन्यायी या भ्रष्ट हो जाता है), तो प्रजा को बहुत कष्ट सहना पड़ता है।

4. कपट और दुराचार की आलोचना

“कुपथ कुमंत्रक कुमित्र बिबरना। होइहि बेगि नरक सम सरना॥”

बुरे मार्ग पर चलना, गलत सलाह मानना और दुष्ट संग भ्रष्टाचार और अधर्म की ओर ले जाते हैं।

5. कलियुग में भ्रष्ट आचरण का वर्णन

तुलसीदास जी ने कलियुग के लक्षण बताते हुए यह स्पष्ट किया है कि:

- धर्म और न्याय बिकाऊ हो जाते हैं।
- लोभी और भ्रष्ट लोग सम्मान पाते हैं।
- साधु और सच्चे लोग उपेक्षित रहते हैं।
- शासक और अधिकारी अधर्म में लिप्त रहते हैं।
- प्रजा दुखी रहती है और समाज में अराजकता फैल जाती है।

इस प्रकार रामचरितमानस से ज्ञात तथ्यों के अनुसार भ्रष्टाचार से मुक्ति का केवल एकमात्र उपाय है— ईमानदारी और भक्ति।

केंद्रीय सतर्कता आयोग(CVC) द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह

(VAW) 2025 के विषय “सतर्कता: हमारी साझा जिम्मेदारी”
पर आधारित

सतर्कता : हमारी साझा जिम्मेदारी

राम मोहन सिंह
– मुख्य सतर्कता निरीक्षक/इंजी.

सतर्क रहे तो सुरक्षित होगा,
हर कदम पर उजियारा होगा।
छल-कपट का जब अंत करेंगे,
ईमान से जीवन रच देंगे।

न रिश्वत हाथ बढ़ाने पाए,
न लोभ हमें बहकाने आए।
सत्य-धर्म जब साथ निभाएँ,
तो भ्रष्टाचार खुद मिट जाए।

जन-जन में जब चेतना जागे,
सत्यपथ पर सब मन भागे।
सतर्कता बन जीवन धारा,
ईमानदारी हो जग सारा।

आओ मिलकर व्रत ये लें,
भ्रष्टाचार से दूरी रखें।
सतर्कता है जिम्मेदारी,
हम सबकी साझा तैयारी।

कहानी भ्रष्टाचार (Corruption) का बीज

संजीव कुमार शर्मा
— मुख्य सतर्कता निरीक्षक/इंजी.

एक ऐसा शब्द जो हर दिल को चुभता है— भ्रष्टाचार। पर ये इतनी बड़ी प्रब्लम शुरू कहाँ से होती है। जब भी हम भ्रष्टाचार ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है यही न बड़े-बड़े घोटालों की न्यूज में आने वाली खबरें या फिर किसी सरकारी आफिस में टेबिल के नीचे से दिये जाने वाले पैसे। पर एक मिनट रुकिये क्या ये भ्रष्टाचार सिर्फ नेताओं और अधिकारियों की ही देन है क्या हम खुद जाने अनजाने में इस पूरे सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा नहीं हैं। मतलब क्या हमारी अपनी छोटी-छोटी हरकतें इस बड़ी प्रब्लम को बनाने में मदद करती हैं तो असल सवाल यही है कि ये भ्रष्टाचार असल में पनपता कहाँ से है। क्या इसकी जड़ें बड़े-बड़े दफ्तरों में हैं या फिर कहीं ओर हमारे बहुत करीब।

आईये एक छोटी सी कहानी से इसकी जड़ों तक पहुँचने की कोशिश करते हैं मिलते हैं रमेश से। रमेश हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर हैं और रमेश कोई बहुत बड़े आदमी नहीं हैं वो बिल्कुल हमारी आपकी तरह एक आम पिता हैं जो बस अपने बेटे का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवाना चाहते हैं। एक ऐसी इच्छा जो हम सभी से सम्बन्ध रखती है। अब रमेश एक दोहराये पर खड़े हैं एक तरफ हैं स्कूल के प्रिंसिपल जो साफ कहते हैं कि फार्म भर दो सब कुछ नियम के हिसाब से होगा और दूसरी तरफ रमेश के दिमाग में एक आईडिया आता है शार्टकट का कि यार अगर थोड़े पैसे दे दिये जायें तो काम जल्दी भी हो जायेगा और पक्का भी। रमेश वही रास्ता चुनते हैं जो उस वक्त सबसे आसान लगता है और वो शार्टकट ले लेते हैं। एक लिफाफा एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है और बस काम हो गया। जो प्रोसेस शायद हफ्तों ले लेता वह कुछ ही घण्टों में खत्म! उस दिन रमेश को लगा कि चलो एक बहुत बड़ी मुश्किल हल हो गई। असली चैलेंज तो तब आया जब अगले दिन उनके बेटे ने उनसे एक सवाल पूछ लिया कि पापा आपने कल वो लिफाफा क्यों दिया और इस एक सवाल के सामने रमेश चुप हो गये उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। उन्हें उसी पल एहसास हुआ कि उन्होंने अपने बेटे को स्कूल भेजने से पहले ही जिन्दगी का सबसे पहला और सबसे गलत सबक सिखा दिया था। सबक ये कि ईमानदारी से ज्यादा पावरफुल एक शार्टकट होता है।

रमेश की कहानी सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है असल में यही वो पल है जहाँ भ्रष्टाचार का पहला बीज बोया जाता है। रमेश के जैसी बस एक सोंच से पूरे सिस्टम में दीमक लगनी शुरू हो जाती है और ये चेन रिएक्शन से बने छोटे-छोटे बीज धीरे-धीरे बड़े-बड़े घोटालों का रूप ले लेते हैं। यदि हमें भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो हम सभी को अपनी सोंच एवं कार्यशैली में ईमानदारी रखनी होगी और किसी भी प्रकार के शार्टकट को न अपनाकर समाज एवं कार्यस्थल पर एक भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण अपनाकर देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

"अगर किसी देश को भ्रष्टाचार – मुक्त और सुन्दर – मन
वाले लोगों का देश बनाना है तो , मेरा दृढ़तापूर्वक
मानना है कि समाज के तीन प्रमुख सदस्य ये
कर सकते हैं पिता , माता और गुरु"

Abdul Kalam

सतर्कता का दीप जलाएं

संतोष त्रिपाठी

– मुख्य सतर्कता निरीक्षक/इंजी.

भ्रष्टाचार की जंजीरों को, अब तो हम तोड़ चलें,
सच्चाई के पथ पर चलकर, उजियारा हम जोड़ चलें।

ना झूठ चले, ना डर चले, अब न्याय की होगी बात,
ईमानदारी की मशाल से, मिटे अंधेरे की हर रात।

हर रिश्वत को "ना" कहेंगे, ये प्रण आज हम लें,
कर्तव्य पथ से ना हटेंगे, कितना भी आए झंझावात।

नागरिक बन जागरूक हम, कसम यही अब खाएं,
सतर्क रहें, सजग बनें, बदलाव की लौ जलाएं।

सप्ताह नहीं, हर दिन हो ये, जीवन का आदर्श बनाएं,
भ्रष्ट आचरण से दूर रहकर, देश को स्वर्णिम बनाएं।



डायबिटीज : कारण, प्रकार, लक्षण और बचाव

Pankaj Kumar Srivastava

– CVI/Medical

1. डायबिटीज का परिचय (Introduction of Diabetes in Hindi) :

डायबिटीज जिसे मधुमेह भी कहा जाता है, एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है या फिर इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता। इसके कारण शरीर में ब्लड शुगर (ग्लूकोज) का स्तर बढ़ जाता है।

इंसुलिन का काम है – भोजन से बनी शुगर को ऊर्जा में बदलना। जब यह प्रक्रिया ठीक से नहीं होती, तो शुगर खून में ही बढ़ती रहती है और धीरे-धीरे शरीर के अंगों पर बुरा असर डालती है।

2. भारत के लिए डायबिटीज एक समस्या के रूप में

भारत में डायबिटीज तेजी से बढ़ती हुई गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है। इसे "डायबिटीज की राजधानी (Diabetes Capital of the World)" तक कहा जाने लगा है।

प्रधानमंत्री जी द्वारा जनता को डायबिटीज /मोटापे /स्वास्थ्य से संबंधित दिए गए आवाहन (appeals) एवं उनके महत्व और प्रभाव पर विचार निम्नवत है—

प्रधानमंत्री जी का आवाहन :

लेकिन "10% कम तेल प्रयोग" की अपील

1. प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि अगर हर परिवार खाना बनाने में उपयोग होने वाले तेल की मात्रा को 10: तक कम कर दे, तो यह स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभदायक कदम होगा।
2. "जब भी घर में तेल लाएं, उसमें 10 : कम लाएँ" – यह उन्होंने सार्वजनिक भाषणों में दोहराया है। यह आवाहन मोटापे (obesity) और उससे जुड़े रोगों जैसे डायबिटीज, हृदय रोग आदि को रोकने के उद्देश्य से है।

स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की प्रेरणा

1. प्रधानमंत्री जी ने विश्व स्वास्थ्य दिवस या अन्य अवसरों पर कहा है कि हमें स्वस्थ भोजन, नियमित व्यायाम, संतुलन जीवनशैली को अपनाना चाहिए।
2. उन्होंने obesity (अत्यधिक वजन) को एक "मूक दुश्मन (silent enemy)" कहा है, जो धीरे-धीरे मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है।
3. इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि लोग प्रतिदिन चलने, व्यायाम करने जैसे क्रियाएँ करें।

जन-जागरूकता और हस्तक्षेप अभियान

1. प्रधानमंत्री जी ने 10 प्रमुख हस्तियों (celebs, खेल हस्तियां, समाजसेवी आदि) को आमंत्रित किया है कि वे मोटापे और नॉन-कम्यूनिकेबल रोगों (जिनमें डायबिटीज शामिल) के प्रति जागरूकता फैलाएँ।
2. उन्होंने "Fit India Movement" जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया, जिसमें स्वस्थ राष्ट्र बनाने के लिए नागरिकों को सक्रिय रहने का आग्रह किया गया है।

महत्व और प्रभाव (Importance - Impact)

1. यह आवाहन लोगों के लिए एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी का संकेत है सरकार केवल नीतियाँ बना सकती है, लेकिन व्यवहार बदलना व्यक्ति की जिम्मेदारी है।
2. 10% तेल कम करने जैसा सरल कदम बड़े पैमाने पर लागू हो सके, तो देश में मोटापे व डायबिटीज की प्रवृत्ति को रोका जा सकता है।

2. जागरूकता बढ़ने से लोग पहले से प्रतिरोधी कदम उठा सकते हैं—स्वस्थ भोजन, व्यायाम, नियमित जांच आदि। चिकित्सा, स्वास्थ्य तंत्र और संसाधनों पर बोझ कम हो सकता है यदि रोग पहले से नियंत्रित हों।

भारत में डायबिटीज की स्थिति

1. भारत में लगभग 10 करोड़ से अधिक लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं (नवीनतम आँकड़ों के अनुसार)।
2. शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ अब ग्रामीण इलाकों में भी यह बीमारी तेजी से फैल रही है।
3. मोटापा, जंक फूड, शारीरिक श्रम की कमी और तनाव इसके मुख्य कारण हैं।

भारत पर डायबिटीज का प्रभाव

1. स्वास्थ्य पर असर हृदय रोग, किडनी फेल, अंधापन और नसों की बीमारियाँ बढ़ रही हैं।
2. आर्थिक बोझ – डायबिटीज का इलाज लंबा और महँगा होता है, जिससे परिवार और सरकार दोनों पर भार बढ़ता है।
3. उत्पादकता में कमी कामकाजी लोगों में यह बीमारी कार्यक्षमता घटा देती है।
4. ग्रामीण और गरीब वर्ग पर खतरा जागरूकता और इलाज की कमी के कारण वहाँ स्थिति और गंभीर है।

समाधान

1. संतुलित आहार और व्यायाम को बढ़ावा देना।
2. लोगों में जागरूकता फैलाना।
3. गाँव-गाँव तक सस्ती और सही स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाना।
4. सरकार और समाज दोनों को मिलकर इस समस्या पर काम करना।

डायबिटीज के प्रकार

1. **टाइप-1** डायबिटीज इसमें शरीर इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। यह अधिकतर बच्चों और युवाओं में पाई जाती है।
2. **टाइप-2** डायबिटीज इसमें इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में तो बनता है लेकिन शरीर उसे सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता। यह वयस्कों में आम है और जीवनशैली से जुड़ी होती है।
3. **गर्भावधि मधुमेह (Gestational Diabetes)** – गर्भावस्था के दौरान कुछ महिलाओं को यह समस्या हो सकती है।

डायबिटीज क्यों गंभीर है?

अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो यह बीमारी हृदय, किडनी, आँखों, नसों और त्वचा पर गंभीर असर डाल सकती है। लेकिन समय पर पहचान, इलाज और स्वस्थ जीवनशैली से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। डायबिटीज (मधुमेह) से जुड़ी जानकारी इस प्रकार है:

1. डायबिटीज के कारण (Causes of Diabetes)

अनुवांशिक कारण – परिवार में डायबिटीज होने पर खतरा बढ़ जाता है।

गलत जीवनशैली – ज्यादा तैलीय व मीठा भोजन, जंक फूड, व्यायाम की कमी।

मोटापा – शरीर में फैट विशेषकर पेट पर इंसुलिन की कार्यक्षमता को कम करता है।

तनाव – लगातार मानसिक तनाव भी शुगर लेवल बढ़ाता है।

उम्र – उम्र बढ़ने के साथ खतरा बढ़ जाता है।

अन्य कारण – हार्मोनल असंतुलन, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल आदि।

2. डायबिटीज की रोकथाम (Prevention of Diabetes)

नियमित व्यायामध्योग करना (कम से कम 30 मिनट रोजाना) ।
संतुलित आहार लेना कम चीनी, कम तेल, अधिक हरी सब्जियाँ और फल ।
वजन नियंत्रित रखना ।

तनाव प्रबंधन – ध्यान, प्राणायाम ।

नियमित जांच – समय-समय पर ब्लड शुगर लेवल चेक करना ।

धूम्रपान और शराब से परहेज ।

3. डायबिटीज का इलाज (Treatment of Diabetes)

लाइफस्टाइल मैनेजमेंट डाइट और व्यायाम सबसे जरूरी ।

दवाइयाँ – डॉक्टर द्वारा दी गई शुगर कंट्रोल की दवाइयाँ ।

इंसुलिन इंजेक्शन टाइप-1 डायबिटीज या गंभीर स्थिति में ।

ब्लड शुगर मॉनिटरिंग घर पर ग्लूकोमीटर से चेक करना ।

4. डायबिटीज का इलाज/निवारण संभव है या नहीं ? (Is there a Cure?)

अभी तक डायबिटीज का स्थायी इलाज (Cure) नहीं है ।

लेकिन कंट्रोल और मैनेजमेंट द्वारा सामान्य जीवन जिया जा सकता है ।

कुछ मामलों में, लाइफस्टाइल बदलने, वजन घटाने और स्वस्थ खानपान से टाइप-2 डायबिटीज लंबे समय तक कंट्रोल में रह सकती है ।



एक कर्मचारी को पारिवारिक पेंशन (Family Pension) और वेतन दोनों एक साथ भुगतान होना

एस.के. भारती
मुसतानि/लेखा

एक निवारक जांच के क्रम में पूर्वोत्तर रेलवे के एक इकाई में पाया गया है कि एक रेलवे कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु दिनांक 06.07.2021 को हो जाने पर उसके पुत्र के पक्ष में पारिवारिक पेंशन हेतु PPO दिनांक 21.01.2022 को जारी हुआ। उसके पुत्र को पारिवारिक पेंशन (Family Pension) का भुगतान दिनांक 07.07.2021 से हो रहा था। अनुकम्पा के आधार पर उसके पुत्र (जो पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा था) की रेल सेवा में नियुक्ति दिनांक 13.03.2023 को हुयी। नियुक्ति के उपरांत भी उसके पुत्र द्वारा पारिवारिक पेंशन (Family Pension) प्राप्त किये जाने हेतु जीवित रहने एवं नौकरी न करने का प्रमाण पत्र का घोषणा पत्र दिनांक 30.12.2023 को बैंक में जमा करके, पारिवारिक पेंशन (Family Pension) का भुगतान प्राप्त किया जा रहा था।

इस प्रकार उस कर्मचारी द्वारा पारिवारिक पेंशन एवं वेतन दोनों का भुगतान एक साथ प्राप्त किया जा रहा था। उक्त मामला Pensioner ds Debit Scroll एवं Salary Data में अंकित Account Number के मिलान किए जाने पर संज्ञान में आया।

रेलवे बोर्ड को सुझाव:— Pensioner के Debit Scroll एवं Salary Data में Aadhar Number feed को Mandatory किये जाने के लिए एवं उपरोक्त प्रकार के मामले अन्य क्षेत्रीय रेलवे में भी पाए जा सकते हैं कि जांच किये जाने हेतु सुझाव दिया गया।

एक पद्धति सुधार निम्नवत जारी किया गया:—

1. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु हितकर निरीक्षक द्वारा जो जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाते हैं उस चेक लिस्ट में एक मद यह भी होना चाहिए कि अभ्यर्थी को पारिवारिक पेंशन का भुगतान हो रहा है या नहीं।
 2. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति होने वाले कर्मचारी के कार्यालय आदेश में उन्हें पारिवारिक पेंशन का भुगतान हो रहा है या नहीं का अंकन होना चाहिए।
 3. यदि रेल सेवक के पुत्र या पुत्री को जिन्हें पारिवारिक पेंशन का भुगतान हो रहा था उनकी अनुकम्पा के आधार पर रेल सेवा में नियुक्ति होती है तो संबंधित लेखा कार्यालय को PPO वापस लिए जाने के पत्र लिखा जाना चाहिए।
 4. कर्मचारी की नियुक्ति के समय शपथ पत्र, साक्ष्यांकन पत्र (पुलिस वेरिफिकेशन हेतु), बहु-विवाह घोषणा-पत्र के साथ-साथ सरकारी धन प्राप्ति का घोषणा-पत्र भी प्राप्त किया जाना चाहिए।
 5. PPO जारी करते समय संबंधित व्यक्ति का IPAS में आधार कार्ड नंबर एवं मोबाइल नंबर अवश्य Feed किया जाना चाहिए।
- उक्त कर्मचारी के पक्ष में जारी PPO को बैंक से वापस मंगाने के लिए उप विसमुलेधि/सामान्य पू.उ.रे., गो. को पत्र लिखा गया।
 - उक्त कर्मचारी के रेल सेवा में नियुक्ति तिथि से हुए पारिवारिक पेंशन भुगतान की वसूली किए जाने हेतु संबंधित बैंक को पत्र लिखा गया तथा उसका क्रेडिट FA & CAO, NCR, प्रयागराज को दिये जाने की अनुशंसा की गयी।
 - उक्त कर्मचारी को विरुद्ध दीर्घ दण्ड (SF-5) की अनुशंसा की गयी।

5. 'प्रलोभन परीक्षण' (Temptation Test) : एक प्रयोग :

खुद को ऐसी परिस्थिति में रखें जहाँ आप बिना पकड़े गए अनुचित लाभ ले सकते हैं। फिर देखें क्या आप ऐसा करेंगे या आप नैतिकता का पालन करेंगे?

नैतिकता वही है जो हम तब करते हैं जब कोई देख नहीं रहा होता।

6. मानसिकता के प्रकार पहचानें : मानसिक स्थिति

संभावित भ्रष्टाचार: 'सब करते हैं, मैं भी करता हूँ'

सामूहिक स्वीकृति से प्रेरित भ्रष्टाचार 'मुझे कोई देख नहीं रहा'

छुपा हुआ भ्रष्टाचार 'मैं तो मजबूर हूँ'

स्व-औचित्य से उत्पन्न भ्रष्टाचार 'ये तो सिस्टम ही ऐसा है'

जिम्मेदारी टालने वाला भ्रष्टाचार

यदि आपकी सोच इनमें से किसी एक से मेल खाती है, तो चेतावनी की घंटी है।

7. आत्म-संयम अभ्यास (Self&Discipline) : ध्यान और प्राणायाम से मानसिक सजगता और विवेकशीलता बढ़ती है।

स्व-प्रतिबंध (self&restraint) रखें जैसे :

एक दिन बिना झूठ बोले बिताना।

एक हफ्ते तक बिना अनुचित लाभ लिए जीना।

8. ईमानदारी की डायरी लिखें : हर दिन लिखें :

यह अभ्यास आपको मानसिक रूप से सजग और जिम्मेदार बनाएगा।

आज मैंने क्या-क्या नैतिक निर्णय लिए?

कोई अवसर आया जहाँ मैंने खुद को भ्रष्टाचार से रोका?

अतः भ्रष्टाचार केवल बाहरी व्यवहार नहीं, बल्कि एक भीतर की सोच, नैतिक गिरावट, और आत्म-चिंतन से शुरू होता है। जब हम अपने भीतर ईमानदारी से झाँकने का साहस करते हैं, तभी हम वास्तविक सुधार की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं।

“यदि चाहो बदलना जहाँ, तो पहले खुद को बदलो,
हर सुधार की शुरुआत, अपने अर्न्तमन से चलो।”



भ्रष्ट मानसिकता के जांच की स्व-मूल्यांकन प्रश्नावली

पवन कुमार श्रीवास्तव
— मुसतानि/विद्युत

निर्देश:

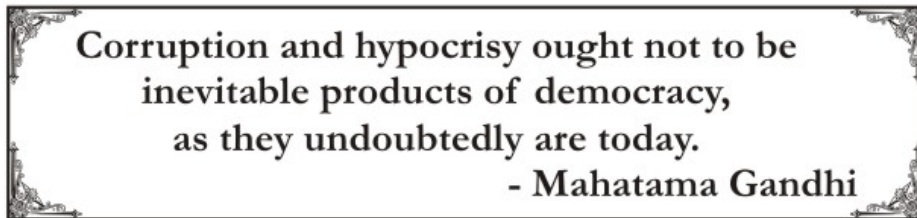
यह प्रश्नावली आपकी नैतिक स्थिति और आत्म-जागरूकता को मापने के लिए है। कृपया

हर प्रश्न का सच्चाई से उत्तर दें "हाँ। कभी-कभी/नहीं।" उत्तर देने में लगभग 5-10 मिनट लगेंगे। स्कोरिंग सुझाव (यदि लागू करें): हाँ 1 अंक, कभी-कभी 0.5 अंक, नहीं = 0 अंक।

1. क्या मैंने आज कोई ऐसा कार्य किया जिससे मुझे बाद में अपराध-बोध हुआ?
हाँ = 1 कभी-कभी = 0.5 नहीं = 0 अंक
2. क्या मैंने किसी को धोखे में रखकर कोई लाभ उठाया?
हाँ = 1 कभी-कभी = 0.5 नहीं = 0 अंक
3. क्या मैं अपने मूल्यों से समझौता कर किसी को खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ?
हाँ = 1 कभी-कभी = 0.5 नहीं = 0 अंक
4. क्या मैंने आज कोई झूठ बोला, भले ही वह 'छोटा' झूठ हो?
हाँ = 1 कभी-कभी = 0.5 नहीं = 0 अंक
5. क्या मैंने कुछ ऐसा किया जिसे मैं सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करना चाहूँगा?
हाँ = 1 कभी-कभी = 0.5 नहीं = 0 अंक
6. क्या मैंने समय पर अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कीं?
हाँ = 1 कभी-कभी = 0.5 नहीं = 0 अंक
7. क्या मैंने बिना कारण किसी का समय, संसाधन या पैसा बर्बाद किया?
हाँ = 1 कभी-कभी = 0.5 नहीं = 0 अंक
8. क्या मैंने किसी नियम/कानून का उल्लंघन किया यह सोचकर कि "कोई देख नहीं रहा"?
हाँ = 1 कभी-कभी = 0.5 नहीं = 0 अंक
9. क्या मैं किसी को बिना योग्य कारण के विशेष सुविधा देने की कोशिश कर रहा हूँ?
हाँ = 1 कभी-कभी = 0.5 नहीं = 0 अंक
10. क्या मैंने आज किसी छोटे भ्रष्टाचार (जैसे रिश्वत, दलाली, सिफारिश) में भाग लिया?
हाँ = 1 कभी-कभी = 0.5 नहीं = 0 अंक
11. क्या मैंने किसी गलत कार्य को सही ठहराने के लिए तर्क खोजे ?
हाँ = 1 कभी-कभी = 0.5 नहीं = 0 अंक
12. क्या मैं खुद को "व्यवस्था का शिकार" मानकर जिम्मेदारी टाल रहा हूँ?
हाँ = 1 कभी-कभी = 0.5 नहीं = 0 अंक

13. क्या मैं अपने कामों के लिए दूसरों को दोषी ठहरा रहा हूँ?
हाँ = 1 कभी-कभी = 0.5 नहीं = 0 अंक
14. क्या मैंने कभी सोचा कि 'सब करते हैं, तो मैं क्यों नहीं' ?
हाँ = 1 कभी-कभी = 0.5 नहीं = 0 अंक
15. क्या मैंने आज किसी कठिन परिस्थिति में सही निर्णय लिया?
हाँ = 1 कभी-कभी = 0.5 नहीं = 0 अंक
16. क्या मैंने किसी को अनुचित काम करने से रोका या टोकने की कोशिश की?
हाँ = 1 कभी-कभी = 0.5 नहीं = 0 अंक
17. क्या मैंने आज कुछ ऐसा किया जिससे मेरी आत्मा को सुकून मिला?
हाँ = 1 कभी-कभी = 0.5 नहीं = 0 अंक
18. क्या मैंने किसी के लिए बिना किसी स्वार्थ के कुछ अच्छा किया?
हाँ = 1 कभी-कभी = 0.5 नहीं = 0 अंक
19. क्या मैं अपने भीतर के दोषों को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ?
हाँ = 1 कभी-कभी = 0.5 नहीं = 0 अंक
20. क्या मैं सचमुच चाहता हूँ कि मैं एक ईमानदार, नैतिक और स्वच्छ मानसिकता वाला व्यक्ति बनूँ?
हाँ = 1 कभी-कभी = 0.5 नहीं = 0 अंक

स्व-मूल्यांकन टिप्पणी: कुल अंक



रेल कर्मचारी रेलवे आवास में विद्युत सम्बन्धित भ्रष्टाचार से बचें

राकेश कुमार श्रीवास्तव
— मुसतानि/विद्युत

क्या नहीं करें :

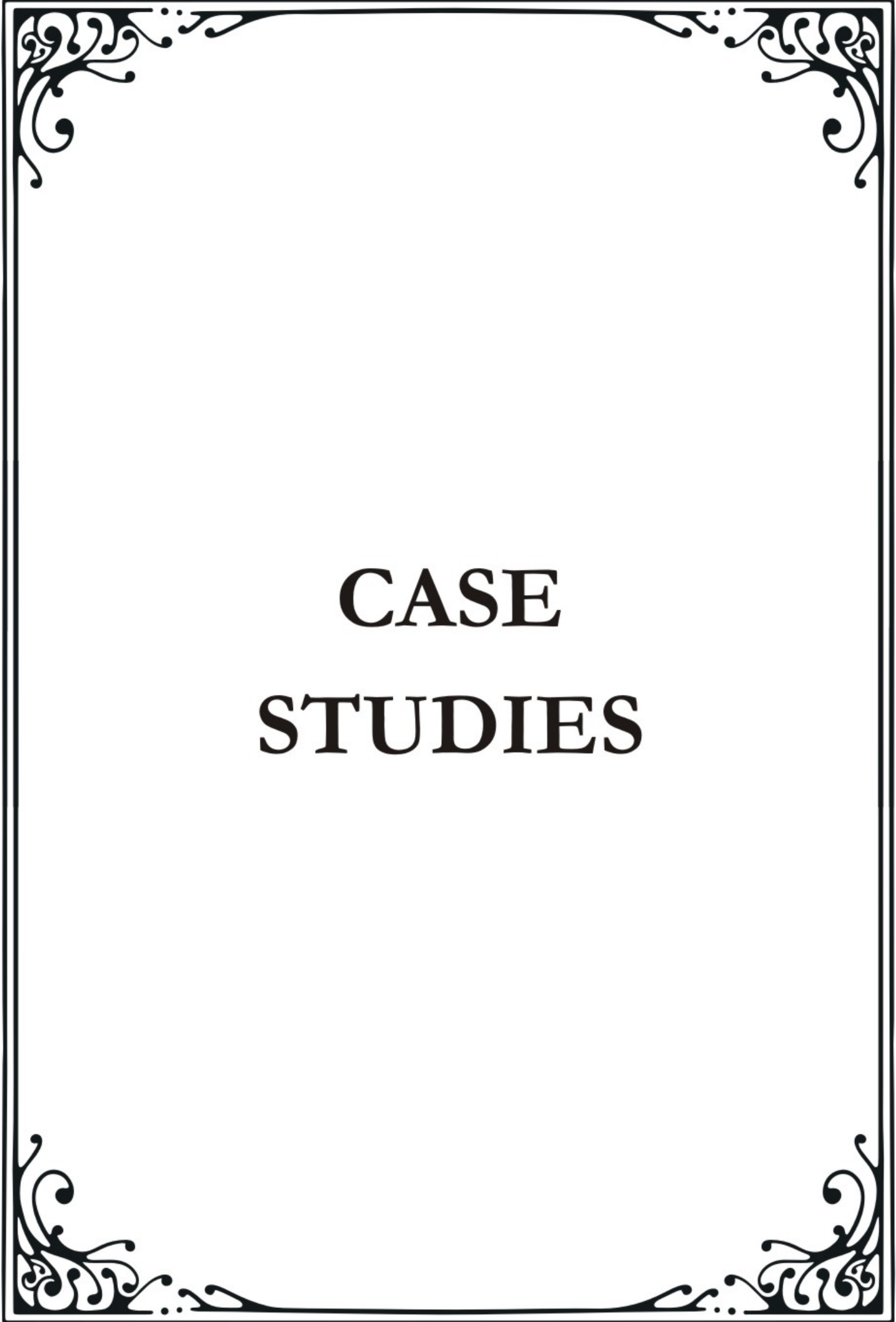
- X विद्युत मीटर से छेड़छाड़ करना या बाइपास करना ।
- X विद्युत मीटर अकार्यशील होने पर विभाग को सूचित नहीं करना ।
- X घरेलू कनेक्शन का व्यवसायिक उपयोग करना ।
- X अवैध विद्युत कनेक्शन लेना ।
- X निषिद्ध उपकरण (ए.सी., हीटर, गीजर आदि) बिना अनुमति के चलाना ।
- X बिजली चोरी या भ्रष्ट आचरण की जानकारी छिपाना ।
- X विभागीय बिजली कर्मचारियों से निजी काम करवाना ।
- X आउटहाउस में अवैध विद्युत कनेक्शन होना ।
- X विद्युत को व्यर्थ नहीं करें ।

क्या करें :

- ✓ विद्युत उपयोग सम्बन्धित नियमों का पालन करें ।
- ✓ ईमानदारी से बिजली का उपयोग करें ।
- ✓ भ्रष्टाचार से बचें , रेलवे की प्रतिष्ठा और अपने सम्मान की रक्षा करें ।

विद्युत ऊर्जा का सही उपयोग करें , " सुरक्षित " रहें।

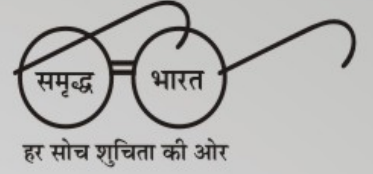
It is easy to kill individuals but you
cannot kill the ideas.
- Bhagat Singh



CASE STUDIES



सतर्कता विभाग
पूर्वोत्तर रेलवे



सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025

**सतर्कता : हमारी
साझा जिम्मेदारी**



**उठो, जागो और तब तक मत रुको,
जब तक राष्ट्र समृद्ध ना हो जाये**

सतर्कता हेल्पलाइन

139

पर कॉल करें



अधिक जानकारी के
लिए इस QR code
को स्कैन करें

रेलवे की बाउंड्री वाल कार्य की सतर्कता जांच में प्राप्त अनियमितताएं

अरुन कुमार श्रीवास्तव
मुसतानि/इंजी.

पूर्वोत्तर रेलवे के एक सेक्शन में रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में आर.सी.सी. कॉलम तथा बीम से बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य कराया गया है यह बाउंड्री वॉल चार भागों में बनाई गयी है। ड्राइंग के अनुसार बाउंड्री वॉल में आरसीसी कॉलमों की सेंटर टू सेंटर दूरी 3 मीटर, कालम की साइज 300 x 300 मिमी तथा ऊँचाई 1570 मिमी रखी जानी है तथा कालमों में 04 नग 16 मिमी डायामीटर की सरिया व 04 नग 12 मिमी डायामीटर की सरिया लगाई जानी है। कालमों के मध्य ईट के दीवार की ऊँचाई 1120 मिमी रखी जानी है। इसी प्रकार बाउंड्री वाल के टाई बीम का साइज 230 x 300 मिमी रहेगा तथा इसमें 03 नग 12 मिमी डायामीटर की सरिया ऊपर तथा 03 नग 16 मिमी डायामीटर की सरिया नीचे लगाई जानी है। इस बाउंड्री वाल कार्य की जांच में निम्न अनियमितताएं पाई गयीं—

1. बाउंड्री वॉल की तीसरी लंबाई तथा चौथी लम्बाई में प्लिन्थ बीम की साइज क्रमशः 235 मिमी, 300 मिमी तथा 230 मिमी, 300 मिमी पायी गयी। बीम की साइज ड्राइंग के अनुसार तो उचित है। परंतु रिकॉर्ड मेजरमेंट बुक में इसके 270 मिमी, 300 मिमी साइज को भुगतान हेतु रेकॉर्ड किया गया तथा इसी के अनुसार भुगतान किया गया है अर्थात् अधिक साइज तथा मात्रा का भुगतान किया गया।
2. बाउंड्री वॉल की तीसरी लंबाई के प्लिन्थ बीम में 12 मिमी डायामीटर की 06 नग सरिया (03 नग ऊपर तथा 03 नग नीचे) तथा बाउंड्री वॉल की चौथी लंबाई प्लिन्थ बीम में 10 मिमी डायामीटर का 06 नग सरिया (03 नग ऊपर तथा 03 नग नीचे) लगी पायी गयी। कार्य में ड्राइंग का अनुपालन नहीं किया गया है तथा मेजरमेंट बुक में प्लिन्थ बीम के लिए 03 नग 12 मिमी डायामीटर की तथा 03 नग 16 मिमी डायामीटर की सरिया को रिकॉर्ड कर इसका भुगतान किया गया है। इस प्रकार जाँच में पाया गया कि प्लिन्थ बीम में ड्राइंग का अनुपालन नहीं किया गया है तथा कम डायामीटर की सरिया लगाकर अधिक डायामीटर का भुगतान लिया गया है।
3. बाउंड्री वॉल की तीसरी लंबाई के कालम में 06 नग 10 मिमी डायामीटर की तथा चौथी लंबाई के कालम में 04 नग 16 मिमी डायामीटर की तथा 02 नग 12 मिमी डायामीटर की सरिया लगी पायी गयी। इनमें ड्राइंग का अनुपालन नहीं किया जाना पाया गया तथा मेजरमेंट बुक में इन कालमों के लिए 04 नग 12 मिमी डायामीटर तथा 04 नग 16 मिमी डायामीटर की सरिया को रिकॉर्ड कर भुगतान किया गया। इस प्रकार पाया गया कि कालमों में ड्राइंग का अनुपालन नहीं किया गया है तथा कम मात्रा में व कम डायामीटर की सरिया लगाई गयी है तथा भुगतान अधिक डायामीटर व अधिक मात्रा का लिया गया है।

उपरोक्त जांच में अनियमितता पाए जाने के पश्चात्, इस कार्य से संबंधित रेलवे कर्मचारी तथा अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की गयी है।

रेलवे कर्मचारी द्वारा रेलवे आवास को किसी प्राइवेट व्यक्ति को व्यावसायिक कार्य हेतु किराये पर दिया जाना ।

मनोज कुमार शुक्ला
मुसतानि/सुरक्षा

एक सतर्कता जांच में रेलवे कालोनी बलिया स्थित रेलवे आवास में रेल कर्मचारी, ट्रैकमैन बलिया के नाम से आवंटित था, जिसमें वह अपने परिवार के साथ रहता था परंतु पत्नी की तबीयत खराब होने के कारण उसने परिवार को घर पहुंचा दिया था। आवास खाली था, जिसे एक प्राइवेट व्यक्ति को व्यावसायिक कार्य हेतु किराये पर देना पाया गया। पूछताछ के दौरान प्राइवेट व्यक्ति ने बताया कि उसके द्वारा बाजार में ठेला पर छोला भटूरा बेचने का कार्य किया जाता है, उसके तथा उसके सहयोगियों द्वारा रेलवे आवास का प्रयोग व्यवसाय हेतु सामान बनाने के कार्य में किया जाता है। रेल कर्मचारी द्वारा यह भी बताया गया कि वह नहीं जानते थे कि आवास को किराए पर देना अपराध है, प्राइवेट व्यक्ति जो उनका दूर का रिश्तेदार है, को आवास की जरूरत थी और बार-बार आकर आग्रह करने पर उक्त आवास उन्होंने किराए पर दे दिया था। रेलवे कर्मचारी द्वारा रेलवे आवास को किसी प्राइवेट व्यक्ति को व्यावसायिक कार्य हेतु किराये पर देना रेल सेवक के लिए रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 15। का उल्लंघन है। जांच उपरांत द्वारा उक्त रेलवे आवास को खाली करा दिया गया है। उक्त रेल कर्मचारी के विरुद्ध SF-11 जारी किया गया है।

रेलवे एक्ट 1989 के तहत गिरफ्तार अभियुक्त को निजी मुचलके पर छोड़ने के नाम पर लूट।

एक सतर्कता जांच में यह पाया गया कि रेलवे एक्ट के तहत निरुद्ध अभियुक्त को गिरफ्तार कर पोस्ट पर मुकदमा पंजीकृत कर सम्बंधित रेलवे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। न्यायालय में ही निर्धारित आर्थिक दण्ड अभियुक्त द्वारा जमा किया जाता रहा है। चूंकि रेलवे एक्ट के अधिकतर मामले जमानतीय अपराध के होते थे, जिनमें अभियुक्त द्वारा जमानत का अनुरोध करने पर पोस्ट से ही Cash Bail के नाम पर काफी अधिक मात्रा में सम्बन्धित पोस्टो द्वारा धन उगाही हो रही है। वर्तमान में आरपीएफ स्टाफ के अन्य डियूटीओ में ब्यस्त होने की वजह से रेलवे एक्ट की विभिन्न धाराओं में पकड़े गए व्यक्तियों को रेलवे न्यायालय न ले जाकर पोस्ट से ही निजी मुचलके पर छोड़ दिया जा रहा है एवं उक्त मुचलके की आड़ में पोस्टो द्वारा अत्यधिक मात्रा में पैसा पीड़ित व्यक्ति से वसूला जा रहा है। जांच में यह भी पाया गया कि गिरफ्तार शुदा अभियुक्तों को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व ही जामा तलाशी में जब्त धन /सामानों को अभियुक्त को जमानत के समय ही दे दिया जा रहा है, जो नियम के विरुद्ध है।

ड्यूटी में तैनात स्टाफ द्वारा निजी धन की घोषणा नहीं किए जाने के संबंध में :-

सतर्कता निवारक जाँच के दौरान पाया गया कि संवेदनशील ड्यूटी में तैनात स्टाफ द्वारा अपने निजी धन की घोषणा नहीं की जा रही है। भ्रष्टाचार की रोकथाम के दृष्टिकोण से उक्त ड्यूटी में तैनात होने वाले बल सदस्यों द्वारा अपने निजी धन की घोषणा किया जाना प्रशासनिक हित में होगा। पूर्वोत्तर रेलवे के रोड साइड स्टेशन पर सम्बंधित रेलवे सुरक्षा बल पोस्टो द्वारा स्टाफ को ट्रेन पासिंग, सील चेकिंग अथवा रेल संपत्ति की सुरक्षा हेतु एक सप्ताह के लिए ड्यूटी के लिए भेजा जाता है, उनके द्वारा निजी धन पंजिका में अपने निजी धन की घोषणा नहीं की जा रही है एवं अधिकतर स्टाफ वर्दी में भी नहीं रहता है।

S&T कार्य के अंतर्गत Non Stock (N.S.) Variation के भुगतान से सम्बंधित प्राप्त अनियमितता

सूर्य प्रताप सिंह
– मुसतानि/सि. एवं दू.

Non Stock (N.S.) Variation को संज्ञान में लेकर की गयी एक सतर्कता जाँच के दौरान यह पाया गया कि एक S&T कार्य के अंतर्गत मद "Modification of Design (Alteration) of route relay interlocking circuits" dk Non Scheduled Variation किया गया। उक्त मद का मूल्य रु.48,53,904.14 था। N.S. Variation के उक्त मद के लिए सम्बंधित फर्म द्वारा प्रस्तुत Selection Table को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया था, लेकिन फर्म द्वारा प्रस्तुत Circuit Diagram में किए गए परिवर्तन के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं हो पाया था कि Circuit Diagram में कोई कमी थी या नहीं। अगर Circuit Diagram में कोई कमी थी तो कितनी यह भी सुनिश्चित नहीं हो पाया। उक्त मद के लिए पूरा भुगतान सम्बंधित फर्म को कर दिया गया। उक्त अनियमितता के लिए सम्बंधित कर्मचारी एवं अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक (DA & R) कार्रवाई की गयी।



ड्यूटी लिस्ट की अनिवार्यता - पारदर्शिता की ओर एक कदम (केस स्टडी)।

बी.के. मोर्य

— मुसतानि/कार्मिक

सतर्कता जांच केवल अनियमितताओं की पहचान नहीं करते, बल्कि उनके मूल कारणों को समझना और संचालन प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने हेतु संगठनात्मक प्रक्रियाओं में आवश्यक सुधारों को रिकमेंड करते हैं ताकि संगठन में हुई किसी प्रकार की अनियमितता दुबारा न हो सके, इसी दृष्टिकोण के तहत वर्ष 2025 में एक सतर्कता जांच की गयी, यह जांच संवेदनशील पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की आवधिक स्थानांतरण की समीक्षा से जुड़ा हुआ था।

केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार संवेदनशील पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को प्रत्येक 4 वर्ष में अन्य पद/कार्यस्थल पर स्थानांतरण किया जाना होता है, जांच के दौरान विभिन्न कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के बारे में जब यह जानने की कोशिश की गई कि उनके द्वारा क्या-क्या कार्य निष्पादित किया जाता है और उनको क्या-क्या कार्य आवंटित है, तो यह पाया गया कि कुछ कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों की ड्यूटी लिस्ट उपलब्ध नहीं थी। ड्यूटी लिस्ट उपलब्ध न रहने के कारण, कुछ संवेदनशील कार्य उन कर्मचारियों द्वारा भी किए जा रहे थे जो औपचारिक रूप से गैर-संवेदनशील पदों पर पदस्थापित थे, चूंकि प्रशासन द्वारा उन्हें गैर संवेदनशील पदों पर पदस्थापित किया गया था जिस कारण उनका आवधिक स्थानांतरण नहीं किया जा रहा था, अतः मामले में यह अनियमितता पाई गई कि संवेदनशील पदों का कार्य करने के बावजूद भी कई कर्मचारी 4 वर्षों से अधिक समय से उसी पद पर बने हुए हैं जो केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के विपरीत पाया गया।

पद्धति सुधार :- इस अनियमितता की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निम्नलिखित पद्धति सुधार लागू किए गए:

अनिवार्य ड्यूटी लिस्ट: प्रत्येक कर्मचारी के पद के अनुसार ड्यूटी लिस्ट तैयार की जाए और उसका एक सुरक्षित प्रति कार्यालय में उपलब्ध हो।

स्थानांतरण/पदस्थापन पर अपडेट : जब भी कोई कर्मचारी स्थानांतरित या नया पद ग्रहण करे, ड्यूटी लिस्ट तुरंत अपडेट की जाए और उपलब्ध कराई जाए।

शाखा प्रमुख की भूमिका: संबंधित शाखा प्रमुख यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीनस्थ सभी कर्मचारियों की ड्यूटी लिस्ट उपलब्ध हो।

उपरोक्त पद्धति सुधार का उद्देश्य

1. उपरोक्त पद्धति सुधार का उद्देश्य संवेदनशील पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के आवधिक स्थानांतरण में पारदर्शिता लाना।
2. कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों में स्पष्टता लाना।
3. कर्मचारियों को उनके कार्य एवं जिम्मेदारियों का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराना।
4. अनियमितता की स्थिति में जिम्मेदारी तय करना।



विभिन्न मामलों में सतर्कता विभाग द्वारा जारी पद्धति सुधारों को देखने के लिए QR स्कैन करें

Gem Bid में सामग्री के गोल्डेन फील्टर का प्रयोग Direct L&1 Purchase के माध्यम से मनचाही फर्म को contract दिलाने के सम्बन्ध में सतर्कता जांच।

विनोद चंद्र यादव
मुसतानि/भण्डार

एक सतर्कता जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि जेम पोर्टल पर Golden Filter में सामग्री के parameters को बदल कर L-1 फर्म की स्थिति को बदला जा सकता है। जांच में क्रय अधिकारी द्वारा पिछले तीन वर्ष में जारी अनुबन्ध की समीक्षा किया गया। जांच में पाया गया कि कुछ फर्म सिर्फ Direct L-1 Purchase के माध्यम से ही क्रयादेश। प्राप्त कर रही थी, ये फर्म बिड प्रक्रिया में भाग नहीं ले रही थी। फर्मों के अनुबन्ध के जांच में पाया गया कि जेम पोर्टल के Golden Filter का प्रयोग कर मनचाही फर्मों को L-1 बनाकर अनुबन्ध जारी किये गये थे। इस प्रकार सतर्कता जांच में Direct L-1 Purchase के माध्यम से मनचाही फर्मों के पक्ष में अनुबन्ध जारी किया पाया गया। उक्त अनियमितता के लिए जिम्मेदार क्रय अधिकारी और सहयोगी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की अनुशंसा किया गया।

स्क्रेप बिक्री में शेष बिक्री मूल्य (BSV) के विलंबित भुगतान पर ब्याज वसूली के संबंध में

सत्येन्द्र नाथ सिंह
मुख्य सतर्कता निरीक्षक/भंडार

स्क्रेप बिक्री में शेष बिक्री मूल्य (BSV) के विलंबित भुगतान पर ब्याज वसूली के संबंध में रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2010/RS(S)/709/36, दिनांक 09.10.2018 के पत्र का संज्ञान लेकर जांच की गई।

उपरोक्त रेलवे बोर्ड पत्र के अनुसार, विलंबित भुगतान पर लगाया जाने वाला ब्याज दर, बोली लगाने वाले द्वारा भुगतान की तारीख या नीलामी की तारीख को प्रचलित SBI के बेस रेट से 7% अधिक होगा, जो भी अधिक हो।

जांच में यह पाया गया कि SBI अपना बेस रेट तिमाही आधार पर अपडेट करता है, जो SBI की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। हालांकि, जांच में पता चला कि रेलवे बोर्ड दिशानिर्देशों के अनुसार, विलंबित BSV भुगतान पर ब्याज दरें अपडेटेड SBI बेस रेट के आधार पर नहीं लगाई जा रही हैं, जिससे राजस्व का नुकसान हो रहा था।

जिसके लिए PCMM को इन दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने और IREPS मॉड्यूल में बेस रेट का नियमित अपडेट करने के लिए सलाह दी गई थी, एवं मॉनिटरिंग का एक उचित तंत्र स्थापित करने के लिए सिस्टम में सुधार (SI) का सुझाव दिया गया।

PRIMES TECHNOLOGY के उपयोग से आरक्षण लिपिक के द्वारा सुनियोजित तरीके से तत्काल टिकटों में की जा रही अनियमितता का उजागर :-

जैनेन्द्र कुमार भट्ट
मुसतानि/यातायात

पूर्वोत्तर रेलवे के एक मंडल में स्थित स्टेशन A के आरक्षण कार्यालय के सतर्कता निवारक जांच के क्रम में पाया गया कि स्टेशन A पर कार्यरत आरक्षण लिपिक के द्वारा सुनियोजित तरीके से तत्काल टिकटों की दलाली हेतु तत्काल टिकट जारी किया जा रहा था। जिसका विवरण निम्न है।

1.0 जांच में पाया गया कि स्टेशन A पर कार्यरत मुख्य वाणिज्य लिपिक द्वारा सुनियोजित तरीके से अपने साथ पहले से लाये हुए कुछ मांगपत्र को अपने पास अन्दर रख लिया जाता था जिसके सापेक्ष कोई आवेदक/यात्री स्टेशन पर टिकट जारी करवाने आते ही नहीं थे। तत्काल टिकट का समय शुरू होते ही तत्काल टिकट हेतु टोकन प्राप्त आवेदक/यात्री का टिकट दिये गये तत्काल टोकन के क्रम में जारी न करते हुए उनके पहले अपने पास रखे मांगपत्र पर टिकट निर्गत कर दिया जाता था। स्टेशन A के आरक्षण काउंटर पर FARE REPEATER नहीं लगा था जिस कारण बाहर खड़े हुये आवेदकों/यात्रियों को यह पता ही नहीं चल पाता था कि कार्यरत आरक्षण लिपिक द्वारा बीच बीच में बिना टोकन प्राप्त यात्रियों का टिकट निर्गत किया जा रहा है।

2.0 कार्यरत मुख्य वाणिज्य लिपिक द्वारा अपने साथ लाये मांग पत्रों पर निर्गत टिकट का विवरण तत्काल टोकन रजिस्टर में अंकित नहीं किया जाता था। जिस कारण तत्काल टोकन रजिस्टर में अंकित टोकन एवं आरक्षण मांगपत्र के मिलान से यह पता ही नहीं चल पाता था, कि कार्यरत आरक्षण लिपिक द्वारा तत्काल टिकट हेतु टोकन प्राप्त आवेदक/यात्री का टिकट उसी क्रम में जारी न करते हुए उनके पहले अपने पास रखे मांगपत्र पर टिकट निर्गत किया जाता है, जो तत्काल टिकट लेने स्टेशन पर आते ही नहीं थे।

3.0 PRIMES TECHNOLOGY का उपयोग करते हुये स्टेशन पर प्राप्त अभिलेख तत्काल टोकन रजिस्टर एवं PRIMES से प्राप्त DATA के मिलान के उपरान्त ही मुख्य वाणिज्य लिपिक द्वारा की जा रही योजनाबद्ध तरीके से तत्काल टिकट के दलाली को उजागर किया जा सका। मुख्य वाणिज्य लिपिक द्वारा जिस क्रम में टोकन दिया गया था उस क्रम तत्काल टिकट निर्गत न करते हुए, बिना टोकन प्राप्त यात्री /आवेदको का टिकट उनसे पहले निर्गत करना IRCM Vol I के पैरा 603 (इ) का उलंघन है। IRCM Vol I के पैरा 603 (इ) स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि FIRST COME, FIRST SERVED के अनुसार टिकट निर्गत किया जाना है।

4.0 दिनांक 05.08.2024 से 23.09.2024 का स्टेशन पर प्राप्त तत्काल टोकन रजिस्टर में अंकित दिये हुए टोकन की मिलान, PRIMES से प्राप्त DATA से करने पर पाया गया कि मुख्य वाणिज्य लिपिक द्वारा 17 तिथियों में तत्काल टिकट को नियम विरुद्ध निर्गत किया गया है, जो इनके तत्काल टिकट के दलाली में संलिप्तता को प्रदर्शित करती है।

इस प्रकार उपरोक्त अनियमितता हेतु जिम्मेदार सम्बंधित कर्मचारी के विरुद्ध सक्षम अधिकारी द्वारा दीर्घ दण्ड की अनुशांसा की गयी है।

बुकिंग कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी द्वारा की जा रही ओवरचार्जिंग

नवनीत सिंह
— मुसतानि/यातायात

स्टेशन 'A' पर स्थित बुकिंग कार्यालय में की गई सतर्कता निवारक जाँच में निम्न अनियमिततायें पाई गई –

01. बुकिंग काउंटर के विंडो नं 01 पर कार्यरत कर्मचारी 'X' के सरकारी धन के जांच में रु. 1475 की वृद्धि पाई गई। उक्त वृद्धि का कारण कर्मचारी द्वारा अत्यधिक भीड़ के कारण चूक होना बताया गया। सरकारी धन में पाई गई वृद्धि को Money Receipt के माध्यम से रेल राजस्व में जमा कराया गया।
02. सतर्कता जांच के दौरान ही स्टेशन पर वाणिज्य कार्यों के इंचार्ज के फोन पर वाणिज्य नियंत्रक/ 'Y' मंडल से एक फोन आया जिसमें बताया गया कि विंडो नं 01 पर ओवरचार्जिंग के सम्बन्ध में एक यात्री ने 139 Help Line पर परिवाद किया है। परिवाद में यात्री का कहना था कि उसने स्टेशन 'A' से स्टेशन 'B' का टिकट लिया जिसके लिए उसने रु. 200 का नोट दिया लेकिन काउंटर पर कार्यरत कर्मचारी द्वारा उसे रु. 50 वापस किये गए जबकि टिकट का मूल्य रु. 130 था। यात्री को टिकट सतर्कता जांच की दिनांक को ही कर्मचारी 'X' के काउंटर से जांच के कुछ समय पूर्व जारी किया गया था। सतर्कता कार्यालय/गोरखपुर में कर्मचारी 'X' का स्पष्टीकरण लेने के पश्चात 139 Helpline में किये गये परिवाद में अंकित परिवादी के मोबाइल नंबर पर बात करने पर परिवादी द्वारा बताया गया कि काउंटर पर कार्यरत कर्मचारी को रु. 200 देने पर उनके द्वारा मुझे केवल टिकट और पच्चास रुपये का नोट दिया गया, ट्रेन उद्घोषणा हो रही थी इसलिए मैंने मौके पर टिकट का मूल्य (रु. 130) नहीं देखा, ट्रेन में बैठने के पश्चात टिकट मूल्य देखा गया तो पता चला की काउंटर पर कार्यरत कर्मचारी द्वारा ओवरचार्जिंग की गई है।

अतः कर्मचारी 'X' के सरकारी धन में रु. 1475 की वृद्धि पाया जाना तथा उसी दिनांक में एक यात्री का इनके काउंटर पर ओवरचार्जिंग के सम्बन्ध में परिवाद किया जाना ये दर्शाता है कि कर्मचारी 'X' द्वारा यात्रियों से ओवरचार्जिंग की जा रही थी क्योंकि लेन देन में चूक के कारण सरकारी धन में रु. 1475 की वृद्धि हो जाये ऐसा सम्भव नहीं है। कर्मचारी 'X' का उक्त कृत एक गंभीर अनियमितता को दर्शाता है जो IRCM VOL II Para 2430 (a) {Any railway servant, who receives money on account of the railway and, will intent to defraud, omits to enter it in the cash book or other prescribed record, or who collects unauthorised charges from the public, is liable to be prosecuted.} के अलोक में सही नहीं है।



स्टेशन मास्टर एवं STBA सहायक द्वारा तत्काल आरक्षण में की गयी अनियमितता

निशांत परमार
– मुसतानि/यातायात

एक श्रोत सूचना के आधार पर “क” स्टेशन स्थित आरक्षण कार्यालय में की गयी जाँच में स्टेशन मास्टर एवं STBA सहायक द्वारा मिलीभगत कर अपनी ड्यूटी के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं कारित की गयी :-

1. सतर्कता दल द्वारा स्लीपर तत्काल समय के पूर्व से आरक्षण काउंटर की निगरानी की जा रही थी जिसमें देखा गया कि कोई भी व्यक्ति आरक्षण हेतु लाइन में खड़े नहीं है। सतर्कता दल द्वारा स्लीपर तत्काल के समय आरक्षण खिड़की के बाहर से देखा गया कि आरक्षण काउंटर पर अंदर एक व्यक्ति आरक्षण काउंटर पर टिकट बना रहा है तथा एक अन्य व्यक्ति उसके बगल में बैठ कर आरक्षण मांग पत्र पर लिखे विवरण देखकर बता रहा है।
2. सतर्कता दल द्वारा स्लीपर तत्काल आरक्षण के समय अपना परिचय देकर कार्यालय में प्रवेश किया गया। आरक्षण काउंटर पर स्टेशन मास्टर तत्काल टिकट जारी करते हुए पाए गए, उनके बगल में STBA सहायक बैठे पाए गए तथा उन्हीं के द्वारा आरक्षण मांग पत्र पर लिखे विवरण को देखकर बताया जा रहा था। काउंटर पर पाया गया कि कई स्लीपर तत्काल के मांग पत्र एक साथ रखे हुए हैं तथा स्टेशन मास्टर द्वारा एक साथ लगातार चार स्लीपर टिकट जारी कर दिए गए थे जिसका कोई भी आवेदक काउंटर के बाहर खड़ा नहीं था। चारों तत्काल टिकट का मूल्य 11630 रुपये था जोकि जाँच के दौरान सरकारी धन में कम पाया गया।
3. स्टेशन मास्टर की ड्यूटी सुबह 08 बजे तक ही थी परन्तु ड्यूटी पूरी होने के बावजूद उनके द्वारा 11 बजे किसी अन्य स्टेशन मास्टर की ड्यूटी में तत्काल टिकट बनाया जा रहा था। उनके द्वारा निजी धन की घोषणा नहीं की गयी थी परन्तु जाँच में उनके बैग में कुल 6640 रुपये पाए गए जिसे अघोषित धन मानते हुए रेल राजस्व में जमा कराया गया।
4. स्टेशन मास्टर द्वारा एक साथ लगातार चार स्लीपर टिकट जारी कर दिए गए थे। क्रम सं 02 तथा 03 पर जारी टिकट एक ही आवेदक का था जो थोड़े समय बाद स्टेशन मास्टर के द्वारा बुलाने पर उपस्थित हुए। उस आवेदक ने बयान में बताया कि STBA सहायक ने मुझसे प्रति व्यक्ति 100 रुपये अधिक लेकर टिकट जारी करने हेतु बताया तथा बाहर जाकर बैठने को कहा। क्रम सं 01 तथा 04 पर जारी टिकट का कोई भी आवेदक उपस्थित नहीं होने के कारण टिकटों को दुरुपयोग से बचाने हेतु सिस्टम में सीज कराया गया।
5. STBA सहायक द्वारा निजी धन शून्य घोषित किया गया था, परन्तु उसके पैंट के जेब में 2800 रुपये रखे पाए गए जिसे अघोषित धन मानते हुए रेल राजस्व में जमा कराया गया।
6. STBA सहायक के मोबाइल के WHATSAPP के जाँच में पाया गया कि स्टेशन मास्टर से उसकी कई चौटिंग तत्काल टिकट बनाने के सम्बन्ध में हुई है। WHATSAPP पर पैसे तथा कमीशन के सम्बन्ध में भी बात हुई है जोकि दोनों की टिकट दलाली में संलिप्तता को प्रदर्शित करता है।
7. जाँच में कई आवेदन स्टेशन मास्टर के हस्तलिपि में भरा हुआ पाया गया जिसका विवरण STBA सहायक द्वारा WHATSAPP के माध्यम से भेजे गए थे।

उपरोक्त अनियमितता हेतु स्टेशन मास्टर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही, STBA सहायक को भविष्य में रेल कार्यों से ब्लैक लिस्टेड किये जाने तथा STBA कॉन्ट्रैक्ट को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

मैनुअल रेलवे ड्यूटी पास पर Not Entitled दर्जे में आरक्षण कराने के संबंध में

ओम प्रकाश सिंह

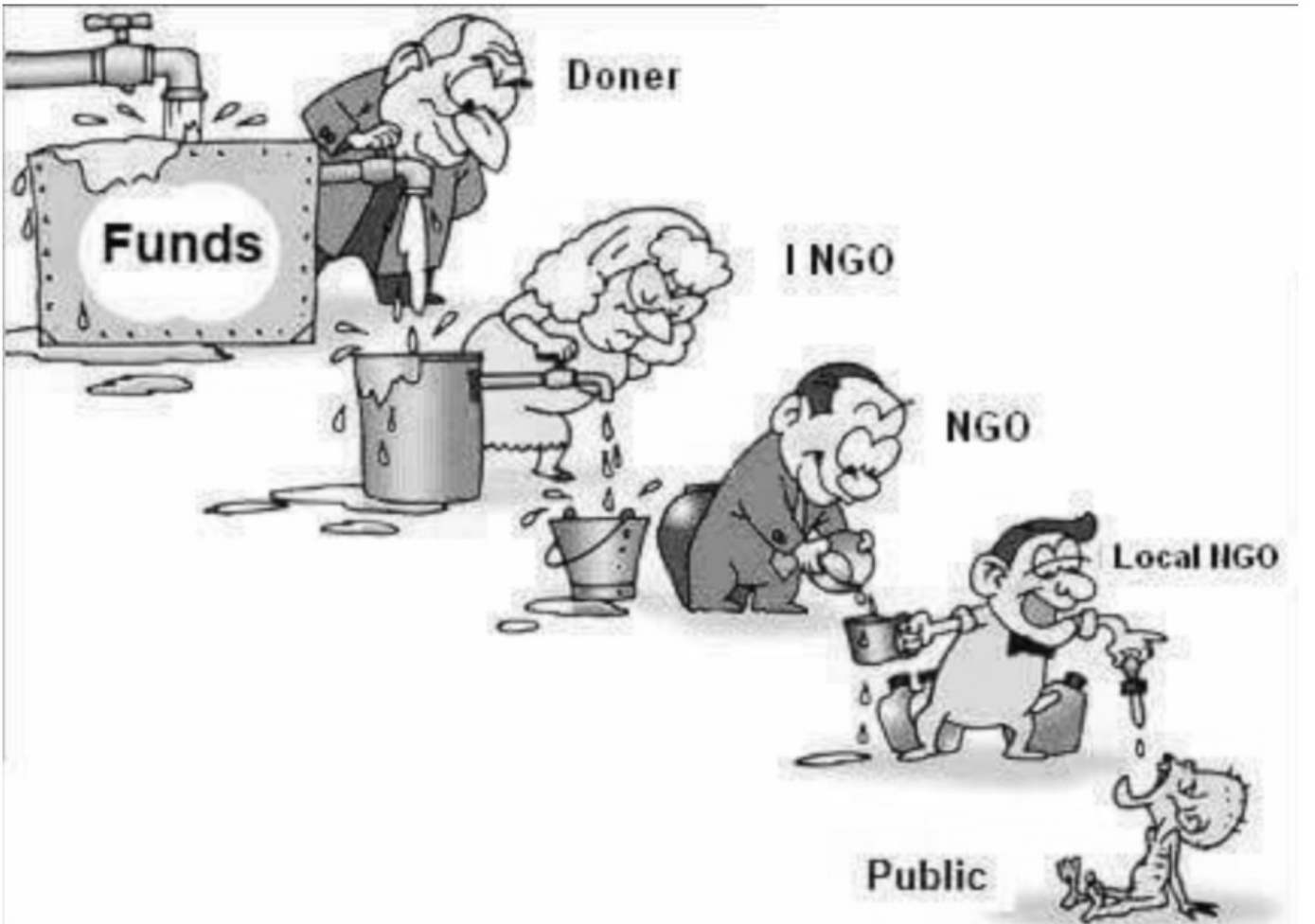
– मुसतानि/यातायात

स्रोत सूचना के आधार पर रेलवे स्टेशन “क” के आरक्षण कार्यालय में की गयी सतर्कता निवारक जाँच में दो रेल कर्मचारियों “ख” एवं “ग” पदनाम प्र० टेक्निशियन और आरक्षण लिपिक “घ” द्वारा आपसी मिली भगत करके मैनुअल रेलवे ड्यूटी पास के संबंध में निम्नलिखित अनियमितता कारित की गई—

1. जांच के कम में पाया गया कि सी.से.ई./सामान्य / द्वारा दिनांक को ड्यूटी कार्य हेतु उक्त दोनो कर्मचारियों “ख” एवं “ग” को (जो Pay Level 6 में कार्यरत है) पहला दर्जा नि: शुल्क पास संख्या को स्टेशन “क” से स्टेशन “छ” तक एवं वापसी हेतु दिनांक सेतक के लिए जारी किया गया था।
2. रेलवे ड्यूटी पास संख्या, उससे संबंधित आरक्षण मांग पत्र एवं पी.आर.एस. डायरी की जांच में पाया गया कि उपरोक्त ड्यूटी पास पर स्टेशन “क” के आरक्षण कार्यालय के आरक्षण काउंटर से दिनांक को समय 08:00 से 16:00 बजे के रोस्टर में कार्यरत आरक्षण लिपिक द्वारा, उक्त कर्मचारी “ख” द्वारा प्रस्तुत आरक्षण मांग पत्र के अनुसार मेल एक्सप्रेस गाड़ी के AC 1st दर्जे में टिकटों को जारी किया गया था। जबकि रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या E(W)2016/PS5-1/8 दिनांक 31.01.2019 के अनुसार ड्यूटी पास के मामले में Non-gazetted Cadre में Pay level In pay Matrix के अनुसार L6 + Above, के कर्मचारी AC 1st के लिए Entitled नहीं हैं और नियमानुसार डिफरेंस पर भी उक्त टिकट जारी नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार आरक्षण लिपिक द्वारा द्वारा रेलवे ड्यूटी पास पर दोनों कर्मचारियों का AC 1st दर्जे में स्टेशन “क” से स्टेशन “छ” तक एवं वापसी लिए टिकटों (PNR संख्या एवं) को जारी करना उनकी संदिग्ध कार्यप्रणाली को प्रदर्शित करता है।
3. जांच के क्रम में कर्मचारी “ख” द्वारा बताया गया कि उक्त पास पर टिकटों को उन्होंने एक हेल्पर से करवाया था। जब कर्मचारी “ख” से पूछा गया कि जब हेल्पर द्वारा आपको उक्त टिकटों को AC 1st में आरक्षित कराकर दिया गया तब आपने अपने उक्त आरक्षित टिकटों को निरस्त क्यों नहीं करवाया? इस संबंध में कर्मचारी “ख” द्वारा बताया गया कि उन्होंने टिकटों को नहीं देखा था और ट्रेन आने पर अपने कोच में बैठ गये थे। कर्मचारी “ख” द्वारा दिया गया उपरोक्त बयान अपने बचत में दिया गया बयान है जो स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि जब उन्होंने अपना टिकट देखा ही नहीं था फिर वह गाड़ी में उक्त टिकटों के आरक्षित बर्थों पर पहुंच कर उस पर यात्रा कैसे किये थे? इस प्रकार कर्मचारी “ख” एवं “ग” द्वारा रेलवे ड्यूटी पास पर AC 1st दर्जे में यात्रा करने के लिए Entitled नहीं होने के बाद भी उनके द्वारा उक्त टिकटों पर उक्त तिथियों में अपनी यात्राओं को पूरा करना उनकी संदिग्ध मानसिकता को प्रदर्शित करता है। क्योंकि अगर उनकी मंशा सही होती तो उक्त दोनों कर्मचारियों के द्वारा या उनमें से कम से कम एक कर्मचारी द्वारा उक्त आरक्षित टिकटों को निरस्त कराकर कर नियमानुसार उचित श्रेणी में आरक्षण कराकर यात्रा किये होते जो कि उनके द्वारा नहीं किया गया।
4. पूछताछ के क्रम में आरक्षण लिपिक “घ” द्वारा बताया गया कि ड्यूटी पास पर दर्ज विवरण के अनुसार उपरोक्त दोनों कर्मचारी प्रवर टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत थे जो कि MCM होता है। इसलिए उन्हें उनका AC IIInd दर्जे का टिकट बनाना चाहिए था लेकिन भूलव। AC 1st दर्जे के टिकट जारी हो गया। कर्मचारी “घ” द्वारा दिया गया उपरोक्त बयान अपने बचत में दिया गया बयान है जो स्वीकार योग्य नहीं है आरक्षण लिपिक “घ” द्वारा पी.आर.एस. सिस्टम में देखकर दो व्यक्तियों का स्टेशन “क” से स्टेशन “छ” तक एवं वापसी लिए मेल एक्सप्रेस में AC 1st दर्जे एवं AC IIInd दर्जे के टिकटों का कुल किराया क्रमशः रुपया 4700.00 एवं रुपया 2840.00 बताया गया। इस प्रकार प्र. टेक्निशियन “ख” एवं “ग” और आरक्षण लिपिक “घ” के उक्त कृत्यों से रेल राजस्व में कुल रुपया 1860.00 की हानि हुई है।

आरक्षण लिपिक "घ" द्वारा रेल राजस्व में उपरोक्त हानि त्रुटि होना बताया गया। आरक्षण लिपिक "घ" का उक्त कथन स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि उनके द्वारा ड्यूटी पास पर उक्त कर्मचारियों का AC 2nd के स्थान पर AC 1st के टिकटों को जारी करना उनकी उक्त कर्मचारियों से मिली भगत के साथ उनकी संदिग्ध मानसिकता को प्रदर्शित करता है।

5. उपरोक्त दोनों कर्मचारियों "ख" एवं "ग" के माह जुलाई/2024 के यात्रा भत्ता विवरण एवं माह अगस्त/2024 के वेतन पर्चियों की जांच में पाया गया कि उक्त उक्त दोनों कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त तिथियों में उक्त गाड़ियों में किए गये यात्राओं का विवरण दर्ज कर यात्रा भत्ता का भुगतान रेल राजस्व से अपने-अपने वेतन में प्राप्त कर चुके हैं।
06. उपरोक्त कर्मचारियों "ख", "ग" एवं "घ" के सत्यनिष्ठा एवं कर्तव्यपरायणता को संदिग्ध पाये जाने पर सतर्कता संगठन द्वारा उन्हें दीर्घ दण्ड दिये जाने के साथ कर्मचारियों "ख" एवं "ग" के कृत्य से रेल राजस्व में हुई हानि रुपया 1860.00 की रिकवरी उनके वेतन से नियमानुसार करने हेतु मंडल कार्यालय को पत्र भेजे की अनुशंसा की गयी है।



IRREGULARITIES COMMITTED BY LEASE HOLDERS OF SLR

Anadi Pratap Singh
CVI/Traffic

PC conducted on the basis of a source information for re-weighment of Leased SLR of Train No. X. Following irregularities were found-

A) Train No. X F/SLR-

1. Total Loaded weight in the SLR was found to be 7560 Kg. Which is 3560 excess than the permissible Carrying Capacity of 4000Kg of the SLR.
2. Total Undercharge to the tune of Rs.1,13,284 was deposited in the rail revenue by the erring lease holder.
3. False declaration of 1200Kg. From STN A to STN B was done by the party to misguide the checking agency while no such loading was done at STN A.
4. False declaration of items of the parcel was done by the party which is against the section 66 of The Railways Act. Fine to the tune of Rs.500 per quintal was also collected from the party in accordance with section 163 of The Railways Act.

B) X R/SLR-

1. Total Loaded weight in the SLR was found to be 5995 Kg. Which is 1995 excess than the permissible Carrying Capacity of 4000Kg of the SLR.
2. Total Undercharge to the tune of Rs.75,508 was deposited in the rail revenue by the erring lease holder.
3. False declaration of 1200Kg. From STN A to STN B was done by the party to misguide the checking agency while no such loading was done at STN A.
4. False declaration of items of the parcel was done by the party which is against the section 66 of The Railways Act. Fine to the tune of Rs.500 per quintal was also collected from the party in accordance with section 163 of The Railways Act.

Apart from loss of rail revenue overloading of this magnitude can be safety concerns for passengers, rolling stock and railway tracks.

चल टिकट परीक्षकों द्वारा कारित अनियमितताएं

सुनील कुमार सिंह
— मुसतानि/यातायात

गाड़ी सं. में स्टेशन "क" से "ख" के मध्य की गई सतर्कता निवारक जाँच के कम में चल टिकट परीक्षक के कार्य में निम्न अनियमितताएं पाई गई—

1. एक चल टिकट परीक्षक के सरकारी धन में रुपया 205.00 की कमी पायी गयी। उनके द्वारा सरकारी धनरा में रुपया 205.00 के कमी के संबंध में यात्रियों का टिकट बनाते समय लेन देन में कम होना बताया गया। इस प्रकार चल टिकट परीक्षक के सरकारी धनरा। रुपया 205.00 का कम पाया जाना उनकी लापरवाहीपूर्ण कार्य प्रणाली को प्रदर्शित करने के साथ उनके द्वारा प्लड टवस। के पैरा 101 का स्पष्ट उल्लंघन है।
 2. दूसरे चल टिकट परीक्षक द्वारा निजी एवं सरकारी धनरा को मिश्रित रुप में कुल रुपया 16820.00 प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार चल टिकट परीक्षक द्वारा जांच के समय सरकारी तथा निजी धन को मिश्रित रुप में प्रस्तुत किया जाना उनके द्वारा भारतीय रेलवे वाणिज्य नियमावली वाल्यूम II के पैरा 2429 का स्पष्ट उल्लंघन है। उनके द्वारा अपना निजी धन रुपया 750.00 HHT एवं EFT में घोषित किया गया था। मिश्रित धनराशि में से निजी धनराशि रुपया 750.00 निकालने के बाद चल टिकट परीक्षक के सरकारी धनराशि HHT एवं EFT के अनुसार रुपया 12565.00 होना चाहिए था। लेकिन मौके पर उनका सरकारी धन रुपया 16070.00 पाया गया। इस प्रकार उनके सरकारी धन में रुपया 3505.00 की वृद्धि पाई गई। चल टिकट परीक्षक द्वारा रुपया 3505.00 की वृद्धि के संबंध में बताया गया कि उक्त धनराशि। वह घर से लाये थे जिसे वह घोषित करना भूल गये थे जो कि बैग में पड़ा रह गया था। चल टिकट परीक्षक का उक्त कथन स्वीकार योग्य नहीं है और उक्त कथन उनके द्वारा अपने बचत में दिया गया कथन प्रतीत होता है क्योंकि IRCA Coaching Tariff No- 26 Part I volume A के पैरा 136 के अनुसार ड्यूटी प्रारम्भ करने के पूर्व टिकट चेकिंग कर्मचारियों को अपने पास उपलब्ध समस्त निजी धन की घोषणा करना आवश्यक है और Railway Board Commercial Circular No- 68 Of 2018 के खण्ड 8 के पैरा संख्या 2 के उप नियम 2.1 के अनुसार ड्यूटी प्रारम्भ करने से पूर्व टिकट चेकिंग कर्मचारियों को अपने पास उपलब्ध समस्त निजी धन की घोषणा करने हेतु स्पष्ट निर्देश है।
- क. जांच के दौरान उक्त चल टिकट परीक्षक द्वारा सतर्कता दल के समक्ष अपने पैंट के चोर पाकेट से अघोषित धनराशि रुपया 12000.00 प्रस्तुत किया गया। अघोषित धनरा के संबंध में पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि उक्त धनरा उनके भाई ने लखनऊ में दिया था जो उनके पत्नी को देना था। लेकिन जब उनके द्वारा अपने उक्त भाई से उपरोक्त के संबंध में मोबाइल फोन पर स्पीकर ऑन अवस्था में बात कराया तब उनके भाई द्वारा जांच दल एवं डिप्टी एस.एस. वाणिज्य की उपस्थिति में उक्त धनरा के संबंध में बताया गया कि उनके भांजे गोरखपुर स्टेशन पर रुपया 12000.00 लखनऊ ले जाने के लिए दिए थे।
- ख. इस प्रकार चल टिकट परीक्षक और उनके भाई के बयान में विरोधाभास पाये जाने पर उक्त के संबंध में चल टिकट परीक्षक द्वारा हड़बड़ाहट में गलती हो जाना बताया गया। तत्पश्चात् सतर्कता दल द्वारा चल टिकट परीक्षक की EFT को टिकट संख्या 586006 पर ब्लाक कर दिया गया और सरकारी धनरा में हुई वृद्धि रुपया 3505.00 एवं अघोषित

धनराशि रुपया 12000.00 को कम 1: EFT संख्या 586007 एवं 586010 के अंतर्गत रेल राजस्व में जमा करा दिया गया। जांच के कम में उनके द्वारा मानवित किये जा रहे कोच की जांच में जनरल टिकट संख्या ए.ए.सी. 20958214 पर एक अनियमित यात्री श्री धाना बहादुर सरकी को लखनऊ से सुगौली जं० की यात्रा करते हुए पाया गया और एक बिना टिकट यात्री श्री ब्रिजेश कुमार को आनंद बिहार से गोरखपुर जं० की यात्रा करते हुए पाया गया। उक्त दोनों यात्रियों को EFT संख्या 586008 एवं 586009 के अंतर्गत रेल राजस्व में कम रु रुपया 400.00 एवं रुपया 700.00 जमा कराते हुए नियमित कराया गया। इस प्रकार चल टिकट परीक्षक के मानवित कोच में उक्त यात्रियों का पाया जाना उनके कार्यप्रणाली को संदिग्ध बनाता है। जाचोंपरांत चल टिकट परीक्षक की EFT को टिकट संख्या 586011 पर रिलीज कर दिया गया। इस प्रकार चल टिकट परीक्षक और उनके भाई के बयान में अंतर होने के कारण इस बात से इंकार नहीं किया जा सका है कि उपरोक्त धनराशियों रुपया 3505.00 एवं रुपया 12000.00 को उनके द्वारा उक्त गाडी में जाते समय एवं वापसी में उन यात्रियों से अवैध रुप से वसूल की गई धनराशियाँ थी जो सतर्कता जांच के दौरान यात्रा पूरी करके अपने गंतव्य स्टेशन/स्टेशनों पर उतर गये होंगे। अन्यथा चल टिकट परीक्षक उपरोक्त धनराशियों को लिखित रुप से रेलवे बोर्ड के कामार्शियल सर्कुलर संख्या 13 Of 2014 एवं 32 Of 2017 का पालन करते हुए EFT में घोषित कर अपने सुपरवाईजर से काउंटर हस्ताक्षर कराकर निजी धन के रुप में लेकर चलते। इस प्रकार श्री चौहान के पास उक्त धनराशियों का पाया जाना उनके संदिग्ध आचरण एवं गलत आय को प्रर्दा ति करता है।



एक कर्मचारी को पारिवारिक पेंशन (Family Pension) और वेतन दोनों एक साथ भुगतान होना

एस.के. भारती
मुसतानि/लेखा

एक निवारक जांच के क्रम में पूर्वोत्तर रेलवे के एक इकाई में पाया गया है कि एक रेलवे कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु दिनांक 06.07.2021 को हो जाने पर उसके पुत्र के पक्ष में पारिवारिक पेंशन हेतु PPO दिनांक 21.01.2022 को जारी हुआ। उसके पुत्र को पारिवारिक पेंशन (Family Pension) का भुगतान दिनांक 07.07.2021 से हो रहा था। अनुकम्पा के आधार पर उसके पुत्र (जो पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा था) की रेल सेवा में नियुक्ति दिनांक 13.03.2023 को हथी। नियुक्ति के उपरांत भी उसके पुत्र द्वारा पारिवारिक पेंशन (Family Pension) प्राप्त किये जाने हेतु जीवित रहने एवं नौकरी न करने का प्रमाण पत्र का घोषणा पत्र दिनांक 30.12.2023 को बैंक में जमा करके, पारिवारिक पेंशन (Family Pension) का भुगतान प्राप्त किया जा रहा था।

इस प्रकार उस कर्मचारी द्वारा पारिवारिक पेंशन एवं वेतन दोनों का भुगतान एक साथ प्राप्त किया जा रहा था। उक्त मामला Pensioner ds Debit Scroll एवं Salary Data में अंकित Account Number के मिलान किए जाने पर संज्ञान में आया।

रेलवे बोर्ड को सुझाव:- Pensioner के Debit Scroll एवं Salary Data esa Aadhar Number feed Mandatory किये जाने के लिए एवं उपरोक्त प्रकार के मामले अन्य क्षेत्रीय रेलवे में भी पाए जा सकते हैं कि जांच किये जाने हेतु सुझाव दिया गया।

एक पद्धति सुधार निम्नवत जारी किया गया:-

1. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु हितकर निरीक्षक द्वारा जो जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाते हैं उस चेक लिस्ट में एक मद यह भी होना चाहिए कि अभ्यर्थी को पारिवारिक पेंशन का भुगतान हो रहा है या नहीं।
 2. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति होने वाले कर्मचारी के कार्यालय आदेश में उन्हें पारिवारिक पेंशन का भुगतान हो रहा है या नहीं का अंकन होना चाहिए।
 3. यदि रेल सेवक के पुत्र या पुत्री को जिन्हें पारिवारिक पेंशन का भुगतान हो रहा था उनकी अनुकम्पा के आधार पर रेल सेवा में नियुक्ति होती है तो संबंधित लेखा कार्यालय को PPO वापस लिए जाने के पत्र लिखा जाना चाहिए।
 4. कर्मचारी की नियुक्ति के समय शपथ पत्र, साक्ष्यांकन पत्र (पुलिस वेरिफिकेशन हेतु), बहु-विवाह घोषणा-पत्र के साथ-साथ सरकारी धन प्राप्ति का घोषणा-पत्र भी प्राप्त किया जाना चाहिए।
 5. PPO जारी करते समय संबंधित व्यक्ति का IPAS में आधार कार्ड नंबर एवं मोबाइल नंबर अवश्य Feed किया जाना चाहिए।
- उक्त कर्मचारी के पक्ष में जारी PPO को बैंक से वापस मंगाने के लिए उप विसमुलेधि/सामान्य पू.उ.रे., गो. को पत्र लिखा गया।
 - उक्त कर्मचारी के रेल सेवा में नियुक्ति तिथि से हुए पारिवारिक पेंशन भुगतान की वसूली किए जाने हेतु संबंधित बैंक को पत्र लिखा गया तथा उसका क्रेडिट FA & CAO, NCR, प्रयागराज को दिये जाने की अनुशंसा की गयी।
 - उक्त कर्मचारी को विरुद्ध दीर्घ दण्ड (SF-5) की अनुशंसा की गयी।

RECONCILIATION OF PAYMENT OF DEPOSIT WORKS

एस.के. भारती
मुसतानि/लेखा

1. पूर्वोत्तर रेलवे के एक इकाई में Deposit work, के तहत OHE modification due to construction of concourse at Railway Station के निर्माण हेतु RLDA द्वारा रेलवे को कार्य प्राप्त हुआ था।
2. उक्त कार्य हेतु RLDA द्वारा रेलवे के Deposit work निधि में रु 28,66,301.00 जमा कराया गया और कार्य के निष्पादन हेतु रेल प्रशासन और फर्म के बीच करार अनुबंध हुआ था।
3. रेलवे द्वारा RLDA से रु 28,66,301.00 प्राप्त किया गया और फर्म को रु 35,68,561.59 भुगतान किया गया अर्थात् रु 7,02,259.24 किसी अन्य Deposit work के निधि से भुगतान किया गया।
4. सतर्कता जांच के उपरांत संबंधित यूनिट से RLDA से प्राप्त किये जाने वाली राशि का गणना करवाया गया, जो कुल रु 9,99,616.00 प्राप्त हुआ और उक्त धनराशि को रेलवे के Deposit work, निधि में जमा किये जाने के लिए RLDA को संबंधित यूनिट से पत्र लिखा जारी हुआ। RLDA के मांग ड्राफ्ट सं 367871 के द्वारा रु 9,99,616.00 रेलवे राजस्व में जमा हुआ।
5. RLDA से प्राप्त धनराशि, से उक्त Deposit Work पर व्यय किये जाने के लिए कार्यकारी एवं लेखा विभाग के संबंधित के कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की अनुशंसा की गयी।
6. उपरोक्त मामले की पुनरावृत्ति न हो सके इसके लिए PFA/NER को एक पत्र लिखा गया कि IPAS पर Deposit work रजिस्टर में टेन किया जाए तथा प्रत्येक Deposit work का Reconciliation IPAS पर किया जाए।
7. सतर्कता जांच के वजह से लगभग रु 10 लाख रेल राजस्व में जमा हुआ।

अमानवीय तरीके से व्यवहार करना लोगो
का भ्रष्टाचार है।

बाह्य एजेंसी द्वारा कराये जा रहे कार्य को संज्ञान में लेकर की गयी सतर्कता जांच में पायी गयी अनियमितताएं

अभय कुमार सिंह
— मुसतानि/यांत्रिक

एक समाडि डिपो में बाह्य एजेंसी द्वारा कराये जा रहे कार्य को संज्ञान में लेकर की गयी सतर्कता जांच में निम्न कमियां पायी गयी:-

1. कार्य प्रारम्भ तिथि से जांच तिथि तक फर्म द्वारा Special condition of Contract के clause के अनुसार Record keeping कार्य हेतु 03 computer with colour printer उपलब्ध कराया जाना नहीं पाया गया, जिसके लिये संबंधित पर्यवेक्षक द्वारा पत्राचार किया जाना पाया गया परन्तु फर्म के विरुद्ध पेनाल्टी लगाया जाना नहीं पाया गया।
2. करारनामा के अनुपालन में कार्य प्रारम्भ होने के समय schedule में वर्णित मटेरियल का 1/6जी भाग फर्म को सप्लाई किया जाना था। परन्तु फर्म द्वारा कार्य प्रारम्भ होने के समय मटेरियल उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में फर्म के विरुद्ध पेनाल्टी लगाया जाना नहीं पाया गया।
3. जांच में करारनामा के Special Conditions of Contract के अनुसार लॉगबुक बनाया जाना नहीं पाया गया। यद्यपि कार्य की रिकार्ड कीपिंग हेतु लाइन पोजिशन मेमो बुक का प्रयोग किया जाना पाया गया। उक्त कमियों के लिए जिम्मेदार officials के विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर अभिलिखित चेतावनी जारी की गयी एवं फर्म के विरुद्ध कुल रु0 9,17,000.00/- की पेनाल्टी अधिरोपित की गयी।





October 31, 1875 - December 15, 1950

**सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन सरदार वल्लभ भाई पटेल के
जन्म की सालगिरह के अवसर पर किया जाता है।**

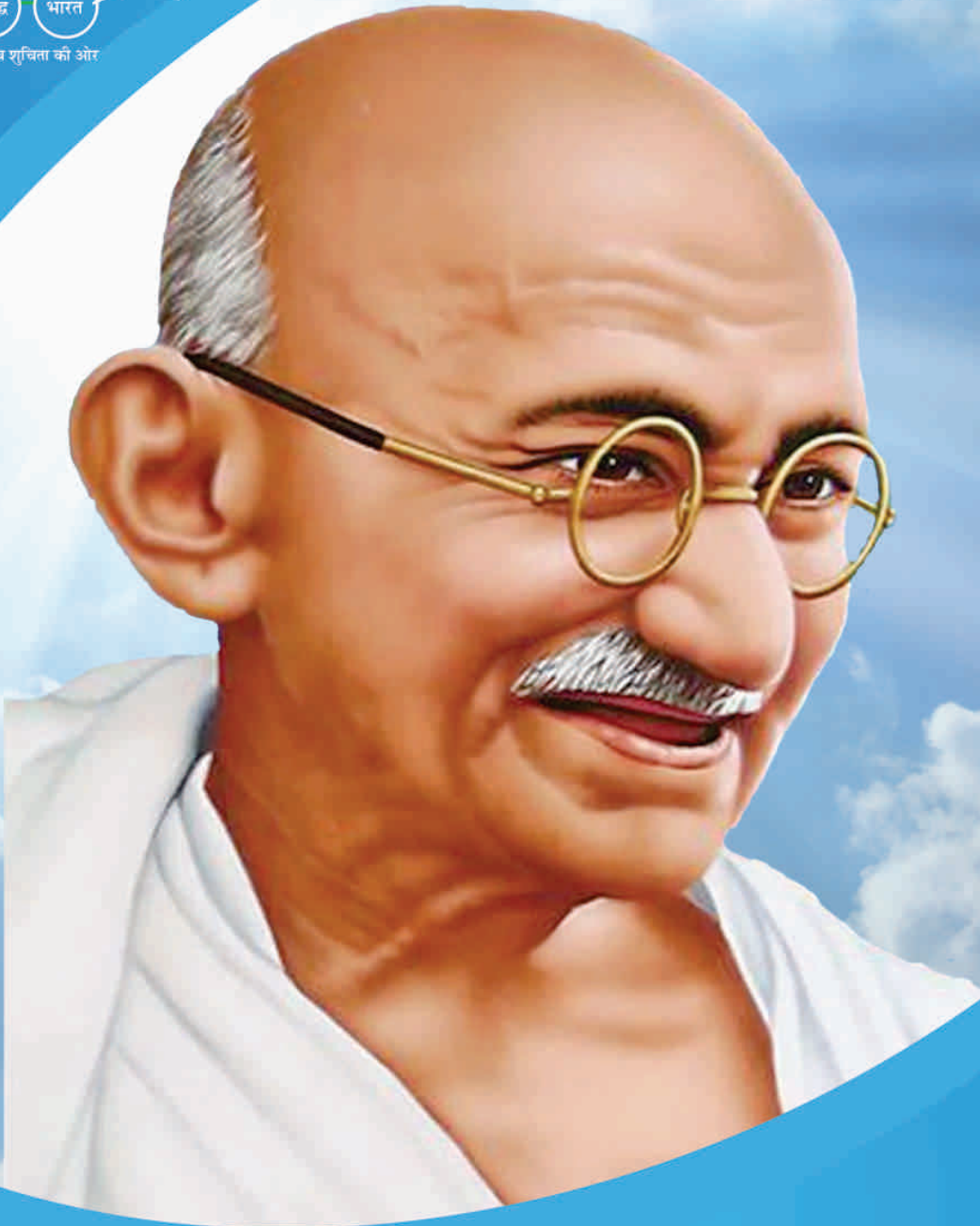
अस्वीकरण

यह बुकलेट मात्र संकेतिक है, अपने आप में सविस्तृत नहीं। यह, संबंधित विषय पर किसी भी प्रकार से किसी नियम, प्रक्रिया तथा वर्तमान अनुदेशों/मार्गदर्शी सिद्धांतों को प्रतिस्थापित नहीं करता है। इस बुकलेट में उल्लेखित प्रावधान किसी भी प्रकार से किसी भी रेलवे कोड एवं परिपत्रों का, जिनका इसमें हवाला दिया गया है, अतिक्रमण नहीं करता एवं मामलों को सही संदर्भ में समझने के लिए इन्हें अन्य संगत पॉलिसी/सर्कुलर के समायोजन के साथ पढ़ा जाना चाहिए। इस बुकलेट को किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है एवं जहाँ कहीं आवश्यक हो तो संबंधित विषय से संबद्ध मूल आदेश को ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

I will not let anyone walk through my mind
with their dirty feet.



**I FOUGHT FOR
FREEDOM**



**WILL YOU FIGHT FOR
"CORRUPTION FREE INDIA"**

October 2, 1869- January 30, 1948

सतर्कता संगठन, पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा प्रकाशित